# कुरुक्षेत्र

संपादकीय

# ग्रामीण स्तर पर सहकारिता को अधिक बल

छत्तीस वर्ष पूर्व, 15 अगस्त 1947, हमारा तिरंगा मुक्त नील गगन की ऊंचाइयों को छू रहा था, देश दासता की जंजीरों को तोड़कर स्वच्छन्द वातावरण में सांस लेने लगा, कैसा स्वर्णिम क्षण था वह। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी, अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं, करोड़ों देशवासी गरीबी का जीवन जी रहे थे। ऐसे हालात थे जब देश की बागडोर अपने हाथों सम्भाली हमने। योजनाओं और विकास कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक नींव को मजबूत बनाकर हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ भारत आज विश्व का एक विशाल विकासशील देश बन गया है। लेकिन देश की सम्पूर्ण सम्पन्नता और समृद्धि के लिए अभी और आगे बढ़ना है, जिससे देश की एकता मजबूत बनी रहे, देश की शक्ति आगे बढ़े और आजादी को हम सुरक्षित रख सकें। भारत गांव प्रधान देश है अतः जरूरी है कि पहले गांवों की अवस्था सुधरे, सम्पन्नता की किरणें पहले वहीं रोशनी बिखेरें।

गांवों में गरीब किसान और कारीगर और पिछड़े वर्गों के लोग सहकारिता से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, इस हेतु ग्रामीण स्तर पर सहकारी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कटाई के बाद की कृषि उपज की परिसंस्करण, भंडारण और विपणन की सुविधाओं का सृजन करने के लिए ऋण और अन्य आदानों के वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रबुद्ध सदस्यता को बढ़ाने के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को तेज करना, आन्दोलन के प्रजातान्त्रिक स्वरूप को सुदृढ़ बनाना और सहकारी समितियों के व्यावसायिक प्रबन्ध को बढ़ावा देना आदि सहकारी आन्दोलन के विकास की नीति के महत्वपूर्ण अंग हैं।

सहकारी विकास में कमजोर वर्गों की, जिसमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, सहायता पर मुख्य तौर पर बल दिया गया है। इस लक्ष्य को इस प्रकार पूरा किया जाने का विचार है (क) वर्तमान प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में कमजोर वर्गों की सदस्यता को बढ़ाकर, (ख) कमजोर वर्गों को वितरित किए जाने वाले संस्थागत कृषि ऋण की रकम को अधिक उदार शर्तों पर लगातार बढ़ाकर, (ग) सहकारी समितियों के प्रबन्ध में कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए वैधानिक प्रावधान करके, (घ) डेयरी, कुक्कुट पालन आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों के लिए सहकारी समितियां गठित करके, और (ङ) जनजातीय इलाकों में बड़े आकार की बहूद्देश्यीय समितियों (लेम्पस) का गठन करके। विभिन्न राज्यों के जनजातीय इलाकों में बड़े आकार की 2553 बहूद्देश्यीय समितियां गठित की गई हैं। बड़े आकार की इन बहूद्देश्यीय समितियों को राज्य स्तर के जनजातीय विकास सहकारी निगमों/संघों से सम्बद्ध किया गया है, श्रमिक सहकारी समितियां और डेयरी, मात्स्यकी तथा कुक्कुट पालन से सम्बन्धित सहकारी समितियां कमजोर वर्गों की सहायता करती हैं।

सहकारिता का एक मुख्य सिद्धान्त सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सहकारी समितियों की लोकतान्त्रिक व्यवस्था करना भी है। ऐसा स्वायत्त स्वावलम्बी सहकारी आन्दोलन शुरू किया जाना चाहिए जो किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप तथा अत्यधिक नियन्त्रण से मुक्त हो। इसी हेतु राज्य सरकारों को सहकारी कानूनों के प्रतिबन्धक लक्षणों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे सहकारी समितियों का स्वस्थ और तीव्र विकास हो सके।

सहकारी समितियों की सदस्यता भी किसानों, कारीगरों और ग्रामीण लोगों के लिए खुली होनी चाहिए। सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अन्यथा सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता से वे वंचित रह जाएंगे क्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों के माध्यम से ही ऋण सहायता दी जाएगी। ऋण उत्पादन कार्यों के लिए दिए जाने चाहिएं और विपणन समितियों द्वारा किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। □

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

**एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०**


**व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० आवसवाल**
**सहायक व्यापार व्यवस्थापक :**
**एल० आर० बत्रा**
**सहायक निदेशक (उत्पादन) :**
**के० आर० कृष्णन**

**दूरभाष : 382406**
**सम्पादक** : श्रीमती सुमन शर्मा
**उपसम्पादक** : राधे लाल
**आवरण पृष्ठ** : परमार


# कुरुक्षेत्र

**ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक**


**वर्ष 28** **श्रावण–भाद्रपद 1905** **अंक 10**


**इस अंक में** **पृष्ठ संख्या**


ग्राम विकास और उपभोक्ता सहकारिता — 2
**राकेश कुमार अग्रवाल**
राष्ट्रीय एकता — 4
**विजयेन्द्र स्नातक**
भारत का मान बढ़ाना है (कविता) — 5
**सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा**
वनवासी और उनकी समस्याएं — 6
**सुरेश चन्द्र श्रीमाली**
श्रम का चमत्कार — 7
**श्याम मनोहर व्यास**
हथकरघा उद्योग और सहकारिता — 8
**ए० के० राजुला देवी**
धरती के भगवान (कविता) — 9
**रजनी पुरी**
परिवार और परिवार नियोजन — 14
**पी० बी० देसाई**
बदरंग चित्र (कविता) — 15
**राजेन्द्र सक्सेना**
ग्रामीण विकास की रीढ़ – सहकारी अभिसंस्करण — 16
**आर० सी० व्यास**
आयकर विधान एवं ग्राम विकास — 20
**आर० एल० सोनेल**
क्षणिकाएं — 22
**गम्भीर सिंह पालनी**
सहकारिता का प्रकाश – विद्युत समिति मनासा — 23
**कैलाश जैन**
उद्बोधन (कविता)—**मोहन चन्द्र मन्टन** — 23
हिन्दी प्रेमी – डा० बारान्निकोव — 24
कानून की बात —**राजेन्द्र परदेसी** — 26
पहला सुख निरोगी काया — 28
महाजनों से मुक्ति —**सत्यनारायण शर्मा** — 30
**केन्द्र के समाचार** — 31
ऋण वितरण समारोह – एक नई मिसाल — आवरण पृष्ठ
**हर्षवर्धन पाठक**

# ग्राम विकास और उपभोक्ता सहकारिता



राकेश कुमार अग्रवाल

कृषि-प्रधान देश होने के कारण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही है और समय-समय पर इसके लिए अनेकानेक योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सतत् प्रयत्न भी किए गए हैं। समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी इस दिशा में गांवों के चहुंमुखी विकास का एक प्रभावी कदम है। जिसके अन्तर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने के व्यापक प्रयत्न किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अंगों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि रोजगार द्वारा आय के साधन जुटाने के साथ-साथ कम से कम प्राथमिक आवश्यकताओं की उपभोक्ता वस्तुएं सस्ते मूल्य पर समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। वस्तुओं का सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होना आय वृद्धि के समान प्रतीत होता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन वस्तुओं की प्रायः दुर्लभता बनी रहती है।

### गांवों में गरीबी

भारत में 76.3 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में वास करती है। कृषि व पशुपालन मुख्य रूप से उनकी जीविका का आधार हैं। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग भूमिहीन श्रमिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों के रूप में गरीबी का जीवन यापन करता है। अधिकांश लोग 'रोज कुआं खोदना-रोज पानी पीना' वाली कहावत के आधार पर निर्वाह करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 50.82 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जिसका औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1979-80 के मूल्यों पर 51.27 रुपये है। संवृद्धि का घटक इसे बढ़ा कर 1984–85 तक 53.44 रुपये कर देगा। असमानता में कमी के लिए पुनर्वितरण कार्यक्रम लागू हो जाने पर यह स्तर 60.31 रुपये हो जाने की आशा है। इसी लिए छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े इलाकों के विकास को तीव्र करने और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

### ग्राम विकास कार्यक्रम--एक दृष्टिकोण

योजना व कार्यक्रम कितने भी अच्छे क्यों न हों, यदि उनका क्रियान्वन ईमानदारी और प्रभावी ढंग से नहीं होता तो सफलता संदिग्ध रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समय-समय पर जो अनेक कार्यक्रम चलाए गए उनका लाभ जिनको मिलना चाहिए भले ही उन्हें न मिला हो, किन्तु बिचौलियों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इनका पूरा-पूरा लाभ उठाया। शोषित का यहां भी शोषण हुआ। अन्त्योदय कार्यक्रम और अब समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में प्रत्येक गांव से चयनित गरीब परिवारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए जो अनुदान व ऋण दिया जाता है उसका एक बड़ा भाग ग्राम सेवक से लेकर अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की जेबों में चला जाता है। यहां तक कि कुछ दशाओं में तो ग्रामीण गरीब को अपना नाम सूची में सम्मिलित करवाने के लिए अपने साधन गिरवी रख कर भी सम्बन्धित कर्मचारियों को खुश करना पड़ता है। उस पर भी रोजगार के साधन के रूप में उसे ढाई हजार की चीज पांच हजार में मिलती है। परिणाम स्वरूप वह ऋण की किस्तों का भुगतान करने में भी असमर्थ रहता है, उल्टे ऋण के बोझ से दब जाता है। यह सूक्ष्म सा मूल्यांकन ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का चित्र प्रस्तुत करता है।

नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण सम्बन्धित व्यक्ति स्वार्थ को सर्वोपरि स्थान देते हैं। परिणाम स्वरूप कोई भी कार्यक्रम प्रभावी व फलदायी न होकर प्रचारित होकर रह जाता है। ऐसे कार्यक्रमों की सफलता सामाजिक चरित्र निर्माण के बिना सम्भव नहीं है। इसके बिना योजनाओं व कार्यक्रमों पर किया जाने वाला व्यय उसी प्रकार सूख जाता है जैसे अपरिमित रेत में किंचित पानी।

आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में "उत्तम वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन" के आदर्श पर आधारित सुविधाओं के विस्तार की। जिससे एक ओर लोगों की आय बढ़े और दूसरी ओर सस्ती वस्तुएं और सेवायें सरलता से उपलब्ध हों।

### ग्रामीण उपभोक्ता

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से दृश्य व अदृश्य बेरोजगारी के साथ सीमित आय और उस पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की दुर्लभता व मूल्य वृद्धि उनके जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुएं साधारणतया समीप के नगरों, कस्बों, बाजार-हाटों, फेरी वालों या ग्रामीण व्यापारियों से खरीदते हैं। निश्चित रूप से इन वस्तुओं के लिए उनको अधिक मूल्य देना पड़ता है। विभिन्न मध्यस्थों के कारण एक ओर वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी ओर वस्तु की किस्म भी गिर जाती है। अनेक दशाओं में ये मध्यस्थ ग्रामीण उपभोक्ताओं की मजबूरी का लाभ उठा कर अनुचित शोषण करते हैं। अभ्यास में आ जाने के कारण ये उपभोक्ता या तो शोषण का आभास ही नहीं करते या फिर मजबूरी वश स्वीकार करने की मनोवृत्ति बना लेते हैं।

## गांवों में उपभोक्ता सहकारिता

जब कभी अभावों के कारण मूल्य वृद्धि प्रवृति दिखाई दी, उपभोक्ता सहकारियों की सेवाएं ली गई। 1962 में चीन के युद्ध के बाद उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं का शहरी क्षेत्रों में तेजी से जाल बिछाया गया। 1966 में जब रुपये का अवमूल्यन होने के कारण महंगाई बढ़ी, तब इस क्षेत्र का और भी अधिक विस्तार किया गया। बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति के कारण जुलाई 1979 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में घोषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों की दृष्टि से सहकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब छठी पंचवर्षीय योजना में भी इस दृष्टि से सहकारी क्षेत्र की भूमिका के विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के 17 वें सूत्र में भी दूरस्थ अंचलों में उपभोक्ता सामग्री की सुलभता के लिए मजबूत उपभोक्ता आन्दोलन पर बल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता योजना का परिचालन प्रारम्भिक ऋण समितियों के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि इन समितियों का गठन और प्रबन्ध पूर्णतः गांवों से सम्बद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 से भी अधिक प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां हैं। वर्तमान में 60,000 से अधिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण उपभोक्ता सामग्री का वितरण कार्य करती हैं। वर्तमान में इन समितियों व उचित दर की दुकानों के माध्यम से अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य-तेल नियन्त्रित कपड़ा, साबुन, माचिस, नमक इत्यादि वस्तुएं बेची जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री का वितरण कार्य सुचारु रूप से करने के लिए 1976 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ग्रामीण उपभोक्ता योजना प्रारम्भ की। ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में 650 करोड़ रुपये मूल्य की उपभोक्ता समाग्री का विक्रय किया गया। छठी योजना में इसको बढ़ा कर 1750 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ग्रामीण उपभोक्ता योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक अंग बन गई है। यहां ग्रामीण अंचलों की उचित दर की दुकानों का आबंटन केवल सहकारी संस्थाओं को ही किया जाता है।

विविध सहकारी सस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाना प्रयत्न किए जाते हैं। किन्तु उपभोक्ता आन्दोलन के क्षेत्र में इनका प्रयास अभी 'ऊंट के मुंह में जीरा' की कहावत को चरितार्थ करता है। ग्रामीण क्षेत्र को सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन के व्यापक आधार की आवश्यकता है। प्रकृति से व्यक्ति उपभोक्ता है। अतः ग्रामीण विकास में उपभोक्ताओं की अपनी सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उपभोक्ता सहकारी संगठन ग्रामीण विकास की सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं और उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन से उत्पन्न जागृति गांवों की काया पलट करती है।

## रचनात्मक भूमिका—कुछ सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों से ही अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति होती है फिर भी इन क्षेत्रों के उपभोक्ता इन वस्तुओं के अभावों से ग्रसित रहते हैं। इसका मुख्य कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं का असंगठित होना है। इसलिए दुग्ध, मत्स्य, क्रय-विक्रय आदि सहकरियों के साथ उपभोक्ता सहकारियों का स्वरूप भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होना चाहिए।

सहकारिता के आधार पर संगठित होकर ग्रामीण उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति तो सचेत होंगे ही, गांवों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। संगठन में शक्ति और शक्ति में कार्य की सिद्धि निहित है। लिंक रोड का निर्माण, सहकारी शिक्षा का विस्तार, पानीकी सुविधाओं का विकास, महिला कल्याण चिकित्सा सुविधाओं की सुलभता व आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण उपभोक्ता संगठनों के प्रयासों द्वारा प्रभावी रुप से कराया जा सकता है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की व्यापक योजना में भी इन सब कार्यों को सम्मिलित किया गया है। जिसके लिए सहकारी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है।

सहकारी विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्ग का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है। यह लाभ उनको तभी मिल सकता है जब वे सहकारी संस्थाओं के सदस्य हों। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहकारी संस्थाओं में लोगों का अधिक से अधिक निष्ठापूर्ण सक्रिय सहयोग होना जरूरी है।

सहकारी संगठन ग्राम विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता है अधिकाधिक कार्यों के लिए सहकारी स्वरुप विकसित करने की। जिससे वे सहकारी ग्राम बन कर विकास की ओर अग्रसर हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं शहरी क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। ग्रामीणों की आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुओं का गांवों में ही उत्पादन सम्भव है। अतः प्रक्रिया व उत्पादन सहकारियों के सहयोग से या उपभोक्ता सहकारियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से गांवों में ही आवश्यकता की वस्तुओं / स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करके एक ओर लोगों को रोजगार सुलभ कराया जा सकता है तो दूसरी ओर वस्तुओं को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सकता है, इससे ग्राम विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

जैसा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में उल्लेख है, ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर चलती-फिरती सहकारी दुकानों के माध्यम से आवश्यकता की अधिकाधिक वस्तुएं उपलब्ध कराने से उनके समय, शक्ति व धन सब की बचत होगी। जिसका वे अन्य प्रकार से ग्राम विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के आदर्श आधार पर निर्मित होने वाले सहकारी संगठनों के विस्तार से ही गांव खुशहाल हो सकते हैं। पारस्परिक सहयोग से सहकारिता का जन्म होता है। गांवों में तो सदा से ही सामाजिक जीवन में सहकारिता को अपनाया जाता रहा है। अब नई आर्थिक परिस्थितियों में भी दैनिक आवश्यकताओं से लेकर गांवों का विभिन्न क्षेत्रों में विकास बिना सहकारिता के सम्भव नहीं है। सरकार और विद्यमान सहकारी शीर्ष संस्थाओं को इस दृष्टि से ग्रामीण उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए सब प्रकार का सहयोग देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे सुसुप्त ग्रामीण उपभोक्ता के जीवन में अपने ग्राम विकास की उमंग का संचार हो।

**राकेश कुमार अग्रवाल**
**पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स**
**एस० एस० वी० कालेज**
**हापुड (उ० प्र०)**

# राष्ट्रीय एकता

प्रो० विजयेन्द्र स्नातक

स्वतंत्र भारत, संसार का एक विशाल विकासशील देश है, जो पिछले छतीस वर्षों से निरन्तर उन्नति करता हुआ विश्व के मानचित्र पर उभर कर विकसित और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्रों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। भारत की पराधीनता की कहानी से जो परिचित है, वे भली-भांति जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने भारत की जनता का केवल आर्थिक शोषण ही नहीं किया था बल्कि भारतीयों में पारस्परिक विद्वेष की भावना भी भर दी थी। धर्म-सम्प्रदाय, भाषा प्रान्त आदि की वैचारिक स्पर्धा पैदा कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता को पनपने का अवसर नहीं दिया था। विदेशी शासक नहीं चाहते थे कि भारतीयों के मन में स्वदेश प्रेम और स्वदेशाभिमान का भाव उत्पन्न हो और वे पारस्परिक स्नेह और सौहार्द के साथ मिलकर रहें। लेकिन स्वतंत्र भारत में यह स्थिति नहीं है। प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी धर्म सम्प्रदाय का अनुयायी हो भारत को अपना देश, अपनी मातृ भूमि मानता है और इसकी एकता के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। इन प्रयत्नों के बावजूद, कभी-कभी वही पुराने सवाल, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के रोड़े थे, आज भी खड़े कर दिए जाते हैं। इनके पीछे न तो कोई पुष्ट तर्क-प्रमाण होता है और न राष्ट्रीय हित-चिन्तन ही। जिन विषयों को ऐसे स्वार्थी लोग अपनी सिद्धि के लिए उठाते हैं, जो वास्तव में अपना कोई महत्व नहीं रखते। राष्ट्रीय एकता के मार्ग के ऐसे रोड़े हटाना प्रत्येक भारतीय का पुनीत कर्तव्य है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात सर्व धर्म समभाव वाला देश है। जिसे अंग्रेजी में "सेक्यूलर स्टेट" कहा जाता है। उसका तात्पर्य यही है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी मान्यता के अनुसार पूजा-पाठ, नमाज, इबादत करने का अधिकार है। धार्मिक दृष्टि से वह पूर्ण स्वतंत्र है और यह उसका मूल अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्मावलम्बी के मार्ग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा करता है तो यह असंवैधानिक एंव दंडनीय कार्य है। यदि राष्ट्र को एकसूत्र में बधें रहना है तो साम्प्रदायिक विद्वेष, स्पर्धा, ईर्ष्या आदि राष्ट्र विरोधी भावों से दूर रहना होगा राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र तो सह-अस्तित्व का भाव है। यदि सह-अस्तित्व को भूलकर हम स्वार्थमूलक संकीर्णभाव की साधना में तत्पर होंगे तो राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचेगा। कभी कभी भ्रांत धारणाओं, भ्रामक मिथ्य प्रचार कार्यों तथा संकीर्ण स्वार्थपरायण व्यक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं किन्तु वे कभी स्थाई नहीं होते लेकिन इन छोटी-छोटी घटनाओं से राष्ट्रीय एकता पर जो चोट पड़ती है उसका अनुमान उपद्रवी लोग नहीं लगा सकते। ऐसे अवसर पर राष्ट्रप्रेमी व्यक्तियों को पूरी सजगता से इस दूषित मनोवृति और कलुषित वातावरण को हटाने में तत्परता का परिचय देना चाहिए। "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना" - केवल सूक्ति नहीं एक सत्य है।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ है बृहत्तर भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और वैचारिक एकता। हमारे धार्मिक कर्मकांड, पूजा-पाठ, खान-पान, रहन-सहन और वेशभूषा में फर्क हो सकता है, अनेकता हो सकती है, किन्तु हमारी राजनीतिक और वैचारिक भूमि में एकता है। अनेकता में राष्ट्रीय एकता ही भारत की विशेषता है। यदि यह एकता खंडित होती है तो सदियों पुरानी हमारी सांस्कृतिक एकता श्रंखला ही टूटती है। स्वतंत्र भारत के संविधान में राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने और राष्ट्र एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयत्न हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। भाषा के स्तर पर सभी प्रादेशिक भाषाओं को यथोचित स्थान संविधान में प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के लिए मिथ्यामोह के कारण दूसरी भाषा का अपमान या अवहेलना करता है तो वह राष्ट्रीय एकता पर ही प्रहार करता है। होना तो यह चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा सीखने के बाद बाद भारत के संविधान में स्वीकृत अन्य प्रादेशिक भाषाओं को भी सीखें और राष्ट्रीय एकता में योगदान करें।

प्रान्तीयता या प्रादेशिकता की भावना भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। राष्ट्र एक सम्पूर्ण इकाई है कभी- कभी यदि किसी अंचल विशेष के निवासी अपने पृथक अस्तित्व की मांग करते हैं, तो राष्ट्रीयता की परिभाषा को न समझने के कारण ही करते हैं। इस प्रकार की मांग करने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विचार ही समाप्त हो जाता है। समूचे राष्ट्र को एक इकाई मानकर यह देखना चाहिए कि भाषा और भूगोल हमारी एकता के संवाहक है। सभी भारतवासी राष्ट्रीयता की दृष्टि से एक हैं। चूंकि भारत के सभी प्रान्त राष्ट्रीयता के सूत्र में आबद्ध हैं अतः उनमें अलगाव संभव नहीं है। राष्ट्रीय एकता के इस प्रमुख तत्व को दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेतागण बार-बार इस दिशा में हमारा ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं।

राष्ट्रीय एकता की भावना राष्ट्रप्रेम राष्ट्रगौरव और राष्ट्रीय अस्मिता को सुदृढ़ बनाती है। राष्ट्रीय अस्मिता के

लिए हम खंड खंड में विभक्त होकर नहीं सोच सकते । इसके लिए हमें समग्रता में ही सोचना होगा । कभी - कभी हम अपनी राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक हल खोज लेते हैं। विवादों को पारस्परिक सहयोग से बात चीत द्वारा शान्त कर लेते हैं, इन समस्त समाधानों और शान्तिपूर्ण हलों की पृष्ठ भूमि में राष्ट्रीय एकता का ही आधार होता है ।

भारत की आजादी मिले छतीस वर्ष हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रनायक स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में ध्यान हो आना स्वाभाविक है । उनका पार्थिव शरीर हमारे साथ नहीं रहा किन्तु उनका पथ प्रदर्शन, राष्ट्रोत्थान के लिए किया गया पुरूषार्थ और परिश्रम उनका सर्वस्व बलिदान आज भी हमें मार्ग दिखा रहा है । उनकी वसीयत में राष्ट्रप्रेम की ज्योति का दिव्य प्रकाश है । उन्होंने अपनी देह–धूलि को किसी रूढ़ परम्परा से संगम के गंगाजल में प्रवाहित करने के लिए नहीं लिखा था उन्होंने वसीयत में लिखा था कि "मेरी धूलि सम्पूर्ण भारत में भारत के प्रत्येक प्रान्त के खेतों में बिखेर दी जाए । मैं चाहता हूं कि यह धूलि समस्त भारत की भूमि को शस्य–श्यामला बनावे ।" राष्ट्रीय एकता की यह गहरी चिंता शायद ही कहीं अन्यत्र देखने को मिले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का यह संकल्प स्वर्गीय नेहरू जी की जीवनचर्या का अंग था, इसीलिए अपनी मरणोत्तर आकांक्षा में भी उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च स्थान दिया । नेहरू जी को गंगा इसलिए प्रिय थी कि इसके जल से हमारे खेतों को सींचा जाता है, पहाड़ों से इसलिए प्रेम करते थे कि उनके दुर्गम प्रदेश हमारे प्रहरी हैं । वनों से इसलिए प्यार करते थे कि इनमें असंख्य वनस्पति और जीव–जन्तु हैं ।

हमारे राष्ट्रनायक पंडित नेहरू ने जब समाजवाद का नारा दिया और कांग्रेस के द्वारा समाजवादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो उनका कहना था कि जनता के शोषण का अन्त समाजवाद की पहली शर्त है । भारत के आजाद होने पर उन्होंने ग्रामोत्थान के साथ टैक्नालाजी और विज्ञान को जोड़ने का सफल प्रयोग किया । उनकी सूझ–बूझ और दूरदर्शिता का ही सुफल है कि आज हमारा देश समृद्धि की ओर निरन्तर अग्रसर है ।

भारत में प्रजातंत्र या लोकतंत्र के संस्थापकों में स्वर्गीय पंडित नेहरू का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है । लोकतंत्र का विचार भारत जैसे विशाल देश के लिए प्रारम्भ में अटपटा लगा था किन्तु नेहरू जी ने इस विशाल देश के सभी निवासियों को समान मताधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष लेकर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय संविधान बनाने में योग दिया ।

(आकाशवाणी, सामयिकी से साभार)

# भारत का मान बढ़ाना है

हमें नया समाज बनाना है,
भारत का मान बढ़ाना है ।

वृक्ष लगे शहरों–गांवों में,
पैदावार हो भरपूर,
बीजों की उन्नत किस्में अपना
किसान खुशहाल बनाना है
भारत का मान बढ़ाना है ।

औद्योगिकीकरण का हो विकास,
कारखानों का बढ़े उत्पाद,
समाजवाद के आदर्शों से,
मजदूर का स्तर उठाना है
भारत का मान बढ़ाना है ।

जात–पात, ऊंच नीच मिटे,
छुआछूत का हो विनाश,
भाई चारे का सबक सिखा,
सबको गले लगाना है
भारत का मान बढ़ाना है ।

बेरोजगारी पर पाकर काबू,
बेरोजगारी पर लाकर रोक,
गांव–गांव में प्रौढ़ शिक्षा से,
निरक्षरता को मिटाना है
भारत का मान बढ़ाना है ।

**सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा**

# वनवासी और उनकी समस्याएं

सुरेश चन्द्र श्रीमाली

वन से वनवासियों का जीवन आदिकाल से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों को वनवासी कहना भी बहुत अर्थपूर्ण है। आदिवासियों का वनों, पहाड़ों से घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध है। आदिवासियों की दैनिक जीवन की समस्याएं और आवश्यकताएं भी वनों से ही संबंधित हैं। वर्तमान समय में भी आदिवासी आधुनिक जीवन से परे जंगलों, पहाड़ों और वनों में अपनी परम्पराओं और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं।

1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 3 करोड़ 90 लाख जनजातीय जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत है। सन् 1981 में यह जनसंख्या बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख हो गई। विगत 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या बढ़ती गयी। साथ ही साथ जंगलों पर दबाव बढ़ता चला गया। देश के विकास में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश के वातावरण को संतुलित बनाए रखना है तो 33 प्रतिशत जंगलों को जीवित रखना आवश्यक है। जबकि वर्तमान समय में हमारे देश में 33 प्रतिशत वनों की जगह 25 प्रतिशत ही वन हैं और घने वन क्षेत्र तो और भी सीमित हैं। वनों के निरन्तर विनाश के कारण पहाड़ नग्न होते जा रहे हैं। फलस्वरूप ऋतु में परिवर्तन, सूखा-बाढ़, स्खलन भूमि का विस्तार, नदियों के प्रवाह में गड़बड़ी, पहाड़ों से मिट्टी कट कट कर बहना आदि प्राकृतिक असंतुलन एवम् दुघटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

वनों की रक्षा करना एवम् उनका विकास करना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में वनों के विकास वृक्षा-रोपण और इनके द्वारा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वनों से परेशानी भी वनवासियों को ही है। इसके भी कुछ कारण हैं :—

(1) वन के उपयोग का अधिकार उनके पास नहीं रहा।

(2) कुछ अधिकार राज्य सरकारों ने दिए भी तो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उसमें बाधाएं पैदा की जाती हैं।

(3) प्रशासन की जंगल रक्षा वन-वासियों के जीवनयापन में प्रमुख बाधा है।

(4) वनवासी वन विभाग के कर्म-चारियों से भयभीत रहते हैं।

(5) विगत कुछ वर्षों से वनवासियों को मनमानी करने की आजादी अब वन सीमा के अन्तर्गत नहीं आती।

(6) वनवासियों को उनकी परम्परा-गत खेती जमीन जो कि उनकी अज्ञानता के कारण वन विभाग के नाम हो गई है से वंचित होना पड़ा।

इसके निदान के भी रास्ते हो सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि (1) कि वनवासियों को यह समझाया जाना आवश्यक है कि राष्ट्रीय दृष्टि में वनों के विकास का कितना महत्व है।

(2) आदिवासियों को वनों से प्राप्त दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई अन्य रास्ता भी प्रशस्त किया जाए ताकि जंगलों पर दबाव को कम किया जा सके। वर्तमान समय में वन उस स्थिति में नहीं रहे कि वन-वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर सकें।

वनवासी लोग गरीब, उत्पीड़ित एवम् शोषित और कमजोर वर्ग के हैं। देश को स्वतन्त्र हुए 36 वर्ष हो गए हैं, इन वर्षों उपरान्त भी वह अपने अधिकारों को नहीं समझते, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। केवल मात्र कानून बना देने व उनके आर्थिक विकास से ही कार्य नहीं चलेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि वह अपने आप सामने आकर अपनी समस्याओं को रखने तक की भी उनमें हिम्मत नहीं है। हमारे देश में लगभग 212 जनजातीय समूह हैं। इनकी निर्भरता वन और पहाड़ ही हैं। वन व पहाड़ों से उनकी निर्भरता दिनों-दिन घटती जा रही हैं, इनकी दैनिक आवश्यकताएं अब वनों से पूरी नहीं होती हैं। आदिवासियों की जो वनों पर निर्भरता थी उनकी आज भी निरन्तर घटती जा रही है। आदिवासी चाहे जिस प्रान्त के हों, चाहे जितनी जनजातियों में बंटे हों उनके सामाजिक, धार्मिक परम्पराएं और संस्कृति के सुरक्षित रखना आवश्यक है तथा राष्ट्रीय धारा में जोड़ना हमारा कर्त्तव्य है तो उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता खोजना भी सरकार का कर्त्तव्य है। बुद्धिजीवी वर्ग का भी कर्त्तव्य होना चाहिए।

हमारे देश में आदिवासी पर्याप्त अभाव में जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। आंधी, बरसात, सर्दी-गर्मी हो, नंगे बदन रहते हैं। दो जून भी खाने को नहीं है, पीने का पर्याप्त पानी भी नहीं है। काम करने को काम नहीं, इतनी विषम परिस्थितियों में वनों, पहाड़ों पर जीवन व्याप्त करने पर बाध्य हैं।

**समाधान एवं सुझाव :**

(1) वनों के महत्व को आदिवासियों को समझाया जाए कि राष्ट्रीय प्रगति में वनों का कितना महत्व है।

(2) आदिवासियों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा आदिवासी भाषाओं में ही दी जाए।

(3) वन विभाग की फालतू पड़ी खेती योग्य जमीन जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, उन पर वनवासियों को खेती करने दी जाए।

(4) वनवासी सहकारी समितियों को हर प्रकार से वन्य जात द्रव्यों के संग्रह खरीद, आदि को एकस्व अधिकार दिए जाएं।

(5) ऐसे कार्यक्रमों की शुरूआत की जाए कि उनकी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति हो सके।

(6) वन से सम्बन्धित कुटीर उद्योग, वनवासी क्षेत्रों में ही खोले जाएं, एवम् सिलाई-बुनाई केन्द्र, कागज दवाई के कारखाने स्थापित किए जाएं ताकि वनवासियों को नियोजन के अवसर अधिकाधिक मिल सकें।

(7) वन मजदूरी, वन विकास, खनिज मजदूरों की मजदूरी पर भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि वह परम्परागत शोषण से मुक्त हो सकें।

(8) राज्य प्रशासनों की नीति, राष्ट्रीय नीति के अनुकूल ही होनी चाहिए। □

**प्राध्यापक,**
**समाज शास्त्र**
**राजस्थान महाविद्यालय**
**नाथद्वारा (राज०)**

# श्रम का चमत्कार

※

**श्याम मनोहर व्यास**

प्राचीन समय की बात है। रामनगर के राजा रणवीर सिंह अपनी दूरदर्शिता, दानशीलता एवं प्रजा वत्सलता के लिए विख्यात थे। वे नियमित रूप से ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करते थे। एक दिन दूर देश का एक ब्राह्मण राजा के पास आया। राजा ने उसका उचित आदर सत्कार किया। उसे भोजन करा कर राजा ने जब सौ मोहरें दान में देनी चाही तो ब्राह्मण ने पूछा—"महाराज क्या यह धन आप की अपनी कमाई का है ?"

राजा ने उत्तर दिया—"मैं राजा हूं। इस राज्य का सारा धन मेरा है।"

ब्राह्मण ने कहा—"नहीं महाराज यह धन मैं नहीं ले सकता। यदि आप अपनी कमाई में से एक पैसा भी देते तो मैं स्वीकार कर लेता।" इतना कह कर वह खाली हाथ ही वहां से चला गया।

राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं मेहनत कर पैसा कमाएगा और उस धन को वह ब्राह्मण को दान देकर ही भोजन करेगा। राजा एक साधारण आदमी का भेष धारण कर राजधानी से निकल पड़ा। एक गांव में उसने एक किसान से प्रार्थना की कि वह उसे नौकर रख लें, पर किसान ने राजा के सुन्दर चेहरे को देख कर नौकर रखने से इन्कार कर दिया। चलते-चलते वह एक लुहार की दुकान पर पहुंचा। राजा ने उससे कुछ काम देने की प्रार्थना की। लुहार ने उसे एक हथौड़ा और लोहे की छड़ देते हुए कहा कि वह उस छड़ को भट्टी में तपा कर हथोड़े से पीटे और उसे त्रिभुज का रूप दे दे। 2 घंटे के लगातार परिश्रम के पश्चात् राजा थक कर चूर हो गया मगर छड़ को कोई रूप नहीं दे सका। तब लुहार ने कहा :— "तुम से यह कार्य नहीं हो सकता ? तुमने दो घंटे मेहनत की है इसलिए मजदूरी के ये पच्चीस पैसे ले जाओ।" राजा पच्चीस पैसे लेकर महल में लौट आया। दूसरे दिन प्रातः उसने उसी ब्राह्मण को बुलाया और पच्चीस पैसे दान के रूप में देता हुआ बोला-- "यह मेरी अपनी कमाई के पैसे हैं, इन्हें ले लो।"

ब्राह्मण ने दान स्वीकार कर लिया और राजा को आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आया।

घर पहुंच कर ब्राह्मण ने आंगन में एक गड्ढा खोदा और पच्चीस पैसे उसमें गाड़ दिए।

थोड़े दिनों बाद उस स्थान पर एक पौधा उग आया। पौधा धीरे-धीरे बड़ा होकर वृक्ष बन गया। एक दिन प्रातः ब्राह्मण ने देखा कि वृक्ष के प्रत्येक फूल में एक-एक मोहर लगी हुई है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पास-पड़ौस में भी यह बात फैल गई। राजा के कानों में भी यह बात पहुंची कि ब्राह्मण के घर में मोहरों वाला पेड़ उगा है। वह भी अपने दरबारियों के साथ उस पेड़ को देखने आया। मोहरों वाला विचित्र पेड़ देख कर राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को आश्चर्यान्वित देख कर ब्राह्मण ने कहा— "महाराज यह आपके श्रम का चमत्कार है।"

सच है परिश्रम ही वह कल्प वृक्ष है जो मनोकामना पूर्ण करता है। □

**15 पंचवटी, उदयपुर (राज)**

# हथकरघा उद्योग

# और

# सहकारिता

**ए० के० राजुला देवी**
**ग्रामीण उद्योग व रोजगार संकाय,**
**एन०आई०आर०डी० हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)**

हमारे देश में हथकरघा सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और हर साल लगभग 3 अरब 10 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करता है जो कि देश के कुल तैयार कपड़े का लगभग एक तिहाई है। अखिल भारतीय हथकरघा व हस्तशिल्प मंडल के आंकड़ों के अनुसार, देश के 40 लाख मीटर हथकरघों की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 6 अरब मीटर है (जबकि एक करघा पांच मीटर प्रतिदिन तैयार कर साल भर में 300 दिन काम करता है)। परन्तु भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए केवल 3 अरब 70 करोड़ मीटर का लक्ष्य रखा है। हथकरघे की प्रतिदिन उत्पादकता बहुत ही कम है यानी प्रति करघा औसतन दो मीटर। अनुमान है कि हथकरघों की अधिकांश क्षमता का या तो पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं होता या कम होता है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 18 से 20 लाख करघे काफी हैं जबकि देश में 40 लाख करघे हैं।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, कृषि के बाद हथकरघा ही ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें लगभग दो करोड़ लोग काम करते हैं जोकि कपड़ा के कारखाने में काम करने वाले लोगों से बीस गुना हैं। इससे बुनकरों को तो रोजगार मिलता ही है, इसके अतिरिक्त इससे अप्रत्यक्ष रूप से करघा बनाने वालों, रंगसाजों, कपड़ा ऐंठने वालों, छपाई करने वालों, संसाधकों आदि अनेक लोगों को भी काम मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र में प्रायः लोगों को या पूरे वक्त रोजगार नहीं मिल पाता या रोजगार मिलता ही नहीं। इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक महत्व को समझते हुए, लोगों को बराबर रोजगार देने के लिए और इस बात से आश्वस्त होने के लिए कि बुनकरों को आमदनी होती रहे, अनेक विकास कार्यक्रम चालू किए गए हैं। रोजगार दिलाने और भारी संख्या में हथकरघे के कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति, दोनों ही उद्देश्यों से विकास के एक नए युग का सूत्रपात किया गया है।

## कुछ समस्याएं

वर्ष 1973 में, भारत सरकार ने हथकरघा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए श्री बी० शिवरमन की अध्यक्षता में एक दल की नियुक्ति की। उस दल ने अपनी रिपोर्ट में जुलाई, 1974 में एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की कि देश के कम से कम 60 प्रतिशत बुनकरों को सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत लेना चाहिए ताकि वे अपने धंधे में लाभ कमा सकें और उन लोगों को रोजगार और आमदनी निरन्तर मिलती रहे। भारत सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चालू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बड़ी प्रारम्भिक सोसाईटियों का दृढ़िकरण और उनके बेकार पड़े हथकरघों को सक्रिय करना।

(2) सभी महत्वपूर्ण बुनाई के क्षेत्रों में नई बुनकर सहकारी समितियों का जाल बिछाना।

(3) बिना करघे वाले बुनकरों को रोजगार देने के उद्देश्य से

**औद्योगिक बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना ।**

हथकरघों पर काम करने वाले अधिकतर बुनकर संगठित नहीं हैं और वे देश भर में अपने धंधे अपने घरों या झोंपड़ियों में करते हैं । जब तक कि इन सब लोगों को केन्द्रीय प्रबन्ध व्यवस्था के अन्दर नहीं लाया जाता तब तक उन लोगों के लिए वित्तीय सहायता, कच्चा माल और माल को बेचने के लिए मंडी की नियमित व्यवस्था होना बहुत कठिन है । अनुभव से पता चला कि इन सब सुविधाओं को बुनकरों के लिए मुहैया करने के उद्देश्य से सहकारी संस्थाएं सबसे उत्तम संस्थागत माध्यम हैं । जैसी कि आशा की गई थी, वैसे परिणाम नहीं मिले । अब तक बुनकरों में केवल 40–45 प्रतिशत लोगों ने सहकारी संस्था में शामिल होना मंजूर किया । हां, निर्यात क्षेत्र में हथकरघे ने अच्छा काम दिखाया है परन्तु इस रिकार्ड को कायम रखना और अधिक कठिन इसलिए हो गया है कि प्रमुख उत्पादक आज भी उसी बुरी हालत में है जैसे वे कुछ दशक पहले थे । एक बड़ी कमी यह भी है कि वे ठीक वक्त पर माल नहीं दे पाते । दूसरी कमी यह है कि उन लोगों में आम तौर पर नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में हिचकिचाहट है । हथकरघा बिजली से चलने वाले करघों के मुकाबले तभी ठहर सकता है जबकि अगर वह तरह-तरह के डिजाइन तैयार कर सके । इस मामले में भी चतुर बुनकर आने वाले समय को भांप कर नए-नए डिजाइन अपनाते हैं । एक बात और है कि हथकरघे उद्योग के लिए पर्याप्त और सामयिक ऋण भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है । वर्ष 1956 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हथकरघा वित्त की योजना चालू की है जिस के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता है । लेकिन इस उद्योग को जितने ऋण की आवश्यकता थी उसकी तुलना में ली जाने वाली ऋण की राशि बहुत ही कम थी । 1975-76 में पहले ऋण की राशि 25 करोड़ थी जोकि 1979-80 में बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई है । लेकिन यह राशि भी सहकारी क्षेत्र के लिए जितना ऋण चाहिए था, उसके लिए भी बहुत कम है । अगर सहकारी क्षेत्र में सभी हथकरघे अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते तो रिजर्व बैंक के हिसाब से लगभग 140 करोड़ रुपये की राशि की 1979-80 में आवश्यकता होती । भले ही सैद्धान्तिक दृष्टि से हथकरघा उद्योग को जीवित रखने की आवश्यकता हो पर वास्तविकता यह है कि अभी तक यह उद्योग अपने सदस्यों को सदियों पुरानी दयनीय दुर्दशा से नहीं उभार सका । यह उद्योग अब भी पुरानी प्रौद्योगिकी और अप्रभावी सहकारी संस्थाओं का शिकार है और इसे कपड़ा मिलों का दक्षिण भारत में (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में) कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है, इन बातों पर प्रस्तुत लेख में प्रकाश डाला गया है ।

## आंध्र प्रदेश

इस समय इस राज्य में लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जोकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 6 लाख हथकरघों पर निर्भर हैं और उनसे अधिक लोग सहकारी क्षेत्र में हैं ।

रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए प्रतिमानों के अनुसार, सहकारी क्षेत्र के तीन लाख हथकरघों की कार्यक्षमता लगभग 60 करोड़ रुपये की होनी चाहिए । बशर्ते कि एक करघे की 2000 रुपये हो । परन्तु जिला

# धरती के भगवान

हे धरती के भगवान
क्या तुझे ही कहते हैं किसान ?
तेरा क्या करें गुणगान
कितना है तू महान
हरे खेत और खलिहान
उनमें बसते तेरे प्राण
मेहनत की है तू खान
तेरे कौन समान
हे धरती के भगवान ।

एक आसमान पर है भगवान
जिसे न देख पाएं इन्सान
पर तू जो है हमारा अन्नदाता
तुझ से ही है प्रत्यक्ष में नाता
सबके लिए है अन्न उपजाता
भले ही तू खाली पेट सो जाता
तेरे कौन समान
हे धरती के भगवान ।

कितनी तू करता कुर्बानी
बरसे या न बरसे पानी
पर तूने जो श्रम की ठानी
अपने खून पसीने से धरती की प्यास बुझानी
तेरे कौन समान
हे धरती के भगवान ।

—रजनी पुरी
सी-टू बी/64 ए जनकपुरी, नई दिल्ली ।

सहकारी केन्द्रीय बैंकों, जो कि सहकारी क्षेत्र में हथकरघों को ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, ने कभी भी 8 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि नहीं दी ।

बुनकरों को धागे और दूसरे निवेशों को ठीक दामों पर खरीदने में कठिनाई होती है। वर्ष 1976 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चालू किया गया था । इसके अन्तर्गत बुनकरों को सहायता देना भी शामिल था । उस समय 10 पौंड (लगभग 4.5 किलोग्राम) चालीस काउंट वाले धागे की कीमत 60 रुपये हुआ करती थी। वर्ष 1981 में दाम बढ़ कर 120 रुपये हो गए । हरे रंग के एक किलोग्राम का मूल्य वर्ष 1976 में 150 रुपये था जो कि बढ़कर इस समय 550 रुपए हो गया । कपड़ा मिलों के बहुत से लाभों को देखते हुए बाजार में हथकरघा कपड़े की कीमत रखी जाती है। एक ऐसी मिल में जहां कताई और बुनाई दोनों ही सैक्शन होते हैं वहां धागा तकली के सिरे पर इस्तेमाल किया जाता है । हथकरघा बुनकर को उसी धागे के दाम 30 प्रतिशत अतिरिक्त देने पड़ते हैं क्योंकि उस में रील बनाने, बंडल बनाने, गोले तैयार करने और परिवहन, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी आदि शामिल हैं और थोक व्यापारी, बिचोलिए जो मुनाफा लेते हैं वे तो हैं ही।

बुनकरों की प्रारंभिक सहकारी समिति को आधी दर्जन सहकारी कताई मिलों का साझीदार बनाया गया था ताकि उन्हें मुनासिब दरों पर अच्छा धागा मिल सके। लेकिन बुनकरों का अनुभव यह रहा कि उन्हें घटिया किस्म का धागा मिला और यह भी बाजार के दामों पर ।

आन्ध्र प्रदेश में 1650 से भी अधिक बुनकर सहकारी समितियां हैं। इन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है --(1) वैध (2) एक आदमी द्वारा चलाई गई और (3) जाली। जाली समितियां वे हैं जो सिर्फ कागज पर मौजूद हैं और उसके जाली सदस्य होते हैं और उनके पास कोई करघा नहीं होता । आन्ध्र प्रदेश हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वैध समितियां 25 प्रतिशत होंगी या अधिक से अधिक 50 प्रतिशत ।

शेयर पूंजी और जनता लाभ स्कीम में सरकार के योगदान के कारण समितियां बेतहाशा बढ़ी हैं। अगर कोई सदस्य शेयर पूंजी में 20 रुपये देता है, सरकार 180 रुपये की राशि शेयर पूंजी के रूप में ऋण देती है। जो लोग जाली समितियां बनाते हैं वे सरकार से पैसा लेकर खा जाते हैं। जाली समितियां चलाने वाले लोगों के लिए जनता कलाथ स्कीम भी खूब पैसा कमाने का माध्यम रही। 40 काउंट वाली जनता साड़ी उपभोक्ता को 18 रुपये से बेची जाती है, हालांकि प्राथमिक समिति को उत्पादन की लागत 28 रुपये दी जाती है, यानी 10 रुपये की राशि सरकार अपनी तरफ से भरती है ।

बुनकरों की दुर्दशा के बावजूद, बुनकर लोग बदलते हुए फैशनों के अनुसार उम्दा कपड़े तैयार करते हैं। कई बुनकरों ने प्रौद्योगिकी को अधुनातन बनाया है। विभिन्न डिजाइन तैयार करने के लिए पोचमपल्ली की 'टाइ एण्ड डाई' प्रणाली विभिन्न डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक रंग की जगह कई रंग इस्तेमाल होने लगे हैं। अब बुनकरों ने कुछ नई चीजें अपनाई हैं जैसे ग्रे कपड़े पर डिजाइन छापना और पोलिएस्टर के साथ बुनना ।

चाहे बुनकर कुछ ही तैयार करे और कितना ही अच्छा तैयार करे, अब भी वह अपना स्वामी नहीं है । अधिकांश बुनकर मजदूरी पर काम करते हैं । मास्टर वीवर जब भी कोई बाजार में संकट होता है, इनकी मजदूरी काट लेता है। उसे इस बात का दुख होता है कि वह कपड़े के दाम, धागे के दाम बढ़ने के साथ नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उपभोक्ता उनके इस काम में अड़चन हैं।

## कर्नाटक

उद्योग को अपेक्षित प्रोत्साहन देने के लिए हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन (हथकरघा विकास निगम) की स्थापना के बावजूद, कर्नाटक में हथकरघे की दशा शोचनीय है ।

1961 की गणना के अनुसार वहां 1.37 लाख हथकरघे थे जो कि 1976 में घटकर 1.02 लाख ही रह गए जिनमें 66,926 सूती करघे ; 22,722 रेशमी और 13,186 ऊनी करघे थे ।

केवल लगभग 55.8 प्रतिशत करघे (57,400) सहकारी क्षेत्र के क्षेत्र में लाए गए । इस समय कार्यरत बुनकर सहकारी समितियों की संख्या 262 है और उनकी सदस्य संख्या 68,000 से अधिक है । 1976 में श्रेणी के अनुसार, 33,900 सूती कपड़े के, 11,170 रेशमी कपड़ों के और 12,270 ऊनी कपड़ों के करघे थे जिनसे 405 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार किया गया जिसका मूल्य 32 करोड़ रुपये से अधिक था । सरकार की योजना यह है कि वर्ष 1983 तक इनमें से 75 प्रतिशत को धीरे-धीरे सहकारी क्षेत्र में ले लिया जाए । हथकरघा विकास निगम ने अपने कार्यक्रम में 23 केन्द्रों में 9,000 बुनकरों को ले लिया है ।

राज्य में हथकरघा उद्योग का मुख्य सहारा डिजाइनों और परम्परागत किस्मों में तैयार किया गया कपड़ा है -- जैसे लुंगी , धोती, तौलिए, सजावट के कपड़े, कमीज के कपड़े व हथकरघा विकास निगम ने कुछ नए मद भी तैयार करने शुरू किए हैं जैसे पोलिएस्टर कमीज के कपड़े, पलंग की चादरें, निर्यात किए जाने वाले कमीज के कपड़े और साड़ियों के गैर परम्परागत डिजाइन, विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक में जहां के बुनकर मध्यम काउंट में साड़ियां तैयार करने के आदी है ।

उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रयत्न जारी हैं और नई प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जा रही है । केन्द्र की सहायता से निगम ने लगभग एक करोड़ रुपये की लागत की आधुनिक कपड़ा संशोधन शाला स्थापित की है । ग्रे (धूसर) रंग कई तरह के कपड़ों में इस्तेमाल होता है जैसे छपी हुई साड़ियों में, रंगीन और छपे पोलिएस्टर और सूती शर्टिंग में । इसके लिए पहले कपड़े को रंगहीन बनाया जाता है फिर उसे रंगा जाता है और तब छपाई की जाती है । इस बात का भरोसा कर लिया जाता है कि क्वालिटी अच्छी है । जैसा कि बिजली से चलने वाले करघों में किया जाता है अब वैसा ही हथकरघों में भी अधिक लम्बाई वाले ताने-बाने के के लिए नाप के तुर मुहैया करने की तकनीक अपनाई गई है जिनसे समय समय की बचत होती है और क्वालिटी भी सुधरती है ।

अधिकांश हथकरघा उद्योग अब भी परम्परात माल तैयार करने में लगा है। सूती हथकरघा उद्योग अभी निर्यात के लिए माल तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका। अब भी सूती साड़ियों और ब्लाउज के कपड़ों की महाराष्ट्र में अच्छी खपत है। चुनींदा किस्मों की साड़ियों, तौलियों और पलंग की चादरों की दूसरे राज्यों में और दिल्ली जैसे शहरों में खपत की अच्छी गुंजाइश है। इस राज्य में तैयार माल का लगभग 60 प्रतिशत माल बाहर के राज्यों में भेजा जाता है।

रेशमी हथकरघे के कपड़े का कर्नाटक में अच्छा व्यापार है और भारत में जितना भी रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है उसका 80 प्रतिशत अकेला कर्नाटक ही बनाता है। जहां तक साड़ियों, कमीजों के कपड़ों और ब्लाउज के कपड़ों का सवाल है, हथकरघे का रेशमी कपड़ा सबसे ज्यादा मैदान मार ले जाता है। लेकिन रेशमी साड़ियों के मामले में तमिलनाडु कर्नाटक से भी बाजी मार ले गया। वहां की छपाई, रंगाई आदि सभी उम्दा हैं। वहां के धरमावश्य और कांचपुरम जैसे केन्द्रों में बेहतर सुविधाएं हैं। रेशमी उद्योग के मामले में मुख्य अड़चने ये हैं :—रेशमी धागे के अनिश्चित दाम, रेशम की घटिया क्वालिटी और घिसी पिटी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। कर्नाटक हथकरघा विकास निगम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, मानक क्वालिटी के रेशमी धागे का न मिलना, विदेशों में निर्यात किए जाने योग्य रेशम के उत्पादन में बाधा है क्योंकि न तो अच्छी किस्म का धागा ही मिलने का भरोसा रहता है और न दामों में स्थिरता ही रहती है। हाल में ही धागों के दाम 25 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गए हैं जिससे उत्पादन कार्यक्रम गड़बड़ा गया है।

यहां एक उल्लेखनीय बात बड़ी दिलचस्प है। चीन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी क्वालिटी का रेशमी धागा 25 डालर (लगभग 225 रुपये) प्रतिकिलोग्राम बेचता है जबकि भारत में बेहतरीन किस्म के धागे की लागत जो कि चीनी रेशम के मुकाबले नहीं ठहरता, 400 रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक है। एक बात आश्चर्य की और है हमारे यहां एक किलो रेशम भी बाहर नहीं बेचा जाता।

हथकरघा निगम की योजना यह है कि वह विश्व बैंक से हथकरघा रेशम के विकास के लिए सहायता ले और धागे के चयन में, एंठन में, रंग निकालने में, रंगने में—विदेशों को किए जाने वाले निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए—आधुनिक तकनीकें अपनाए। प्रस्तावित योजना पर लगभग 40 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है और इसके अन्तर्गत लगभग 15,000 करघे लिए जाएंगे। हाल में ही, कर्नाटक में रेशम तैयार करने वालों और बुनकरों को मंझोलियों के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए रेशम विनियम तथा रेशम विपणन मंडलों की स्थापना की गई है।

राज्य में ऊनी हथकरघा उद्योग उदीयमान अवस्था में हैं और उत्पादन मुख्यतः मोटे कम्बलों के उत्पादन तक ही सीमित है। सरकारी आंकडों के अनुसार ऊनी हथकरघों की संख्या 13,000 से कुछ ऊपर है पर गैर-सरकारी अनुमानों के अनुसार 24,000 और 25,000 के बीच है। ऊनी हथकरघे के उद्योग में एक लाख से भी अधिक लोग लगे हैं और ये मुख्यतः परम्परागत कपड़े तैयार करते हैं। ये लोग न केवल कताई और बुनाई का काम करते हैं बल्कि भेड़ें चराते है, ऊन काटते हैं और कम्बल बनाने के लिए उस ऊन को उपचारित भी करते हैं।

ऊन के बुनकरों की दशा सुधारने के लिए, कर्नाटक की सरकार एक सधन ऊन करघा विकास प्रायोजना पर विचार कर रही है। इस योजना पर लगभग 132 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अन्तर्गत कश्मीर और राजस्थान से उम्दा किस्म की ऊन मंगाना भी विचाराधीन है। कर्नाटक राज्य ऊन करघा बुनकर सहकारी समिति ऊनी बुनकरों को उनका माल बेचने में सहायता दे रही है। 1979-80 में कुल 4 करोड़ रुपये के माल में से लगभग 50 लाख रुपये का माल इस समिति के द्वारा बेचा गया।

ऊनी करघा बुनकरों के सामने एक गंभीर अड़चन यह है कि भेड़ों में महामारी फैलती रहती है जिससे उनकी संख्या घट जाती है। इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए न तो कोई बीमा और न सहायता योजना है। इसके अतिरिक्त यह उद्योग है ही ऐसा कि मौसम के साथ दामों में उतार-चढ़ाव होता है और मजबूरन उन्हें घटे दामों पर बेचना पड़ता है।

अब भी बहुत से बुनकर मास्टर वीवर और मंझौलियों के चंगुल में हैं। यद्यपि संगठित क्षेत्र में इनकी मजदूरी तय कर दी गई है परन्तु असंगठित क्षेत्रों में जहां ये मास्टर वीवर इनसे काम लेते हैं, स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है। एक अनुमान है कि इन बुनकरों की औसत आमदनी प्रतिदिन दो रुपये या इसके लगभग है।

हथकरघा विकास निगम के अधिकारियों की राय है कि बुनकरों के सामने मुख्य समस्या ब्याज की ऊंची दर है। जबकि रिजर्व बैंक की योजना के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों को 6.5 प्रतिशत की दर से ऋण मिलना चाहिए, निगम को बाजार में चल रही दर से ब्याज देना पड़ता है। जबकि रिजर्व बैंक ने प्रति सूती बुनकर को 1500 रुपये ऋण देने का प्रावधान किया है, ब्याज और मासिक किस्त का अधिक बोझ न डालने के कारण उन्हें डी० आई० आर० ऋण लगभग 500 रुपये तक ही मिल पाता है।

## केरल

इस राज्य में लगभग 2.5 लाख लोग हथकरघे उद्योग में लगे हैं जोकि लगभग 7.5 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करते हैं जिसका मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपये है। इस उत्पादन में निजी, सार्वजनिक व सहकारी तीनों ही क्षेत्रों का लगभग समान योगदान है। इस उद्योग पर लगभग तीन लाख लोग आश्रित हैं। केरल में, मुख्यतः राज्य के उत्तरी भाग —कैन्नानोर में, त्रिवेन्द्रम में, बलरामपुरम

में और पालघाट , कालीकट और किलोल जिलों के कुछ भागों में लगभग 98000 हथकरघे हैं । इनमें से सहकारी क्षेत्र में लगभग 39,000 हथकरघे हैं जिन्हें कि 493 सहकारी समितियां चलाती हैं और शेष करघेघरों में (22,000) और छोटे-छोटे कारखानों में (2,000) लगे हैं ।

इस उद्योग की प्रमुख समस्याएं सभी किस्म के धागों की कमी , दूसरे राज्यों की तुलना में इस राज्य में उत्पादन की अधिक लागत, बिजली से चलने वाले कपड़े के कारखानों के साथ होड़, देश में और देश के बाहर बिक्री में मंदी हैं। इस बीच पोलिएस्टर के चलन ने इस उद्योग को भारी धक्का पहुंचाया है । इसके अतिरिक्त, बिजली से चलने वाले कपड़े के कारखाने लोकप्रिय डिजाइनों की नकल करने लगते हैं । पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का केरल से कड़ा मुकाबला है । निर्यात करने वाले निर्माता नहीं हैं लेकिन ये निर्यात करने वाले सैम्पल के एल्बम से निर्यात के आर्डर ले लेते हैं । वे लोग हथकरघा यूनिटों से 400 500 मीटर कपड़ा खरीद लेते हैं और उसे तमिलनाडु या कर्नाटक भेज देते हैं जहां वे लोग नकल करने में कमाल कर दिखाते हैं । एक कमी केरल की यह भी है कि अभी तक इस राज्य ने विदेशों में खपत की मंडी के लिए सर्वेक्षण नहीं किया और न कोई उल्लेखनीय विज्ञापन अभियान ही चालू किया है । इसका चीन से भी मुकाबला है । इस राज्य में तमिलनाडु के कुल हथकरघों की संख्या 10 प्रतिशत हैं । वहां के निर्यातक–निर्माताओं के लगभग 5000 हथकरघे हैं जबकि दूसरे हथकरघे व्यापारी निर्यातकों से आर्डर लेते हैं । एक बात यह भी है कि अब केरल का डिजाइनों पर एकाधिकार भी नहीं रहा ।

अधिकांश जगहों में, विशेष रूप से बलरामपुरम में, हथकरघा व्यापारियों द्वारा चलाई गई समितियां नाममात्र को हैं । राज्य हथकरघा विकास निगम समितिमों से माल खरीदता है और उन्हें सहारा देता है । जालसाज सहकारी समिति कम दामों पर तमिलनाडु से माल खरीदती है और उसे निगम को अधिक दाम पर बेचती है । जब सहायता की राशि का हिसाब लगाया जाए तो उसे दुगना लाभ होता है । सरकार ने निगम को आदेश दिए हैं कि वह समितियों के पास पड़े माल का कम से कम 50 प्रतिशत माल उठा लें । निगम समितियों को परिपत्र भेज कर बताता है कि माल किस दिन उठाया जाएगा लेकिन इससे चालाक सहकार पड़ोसी राज्यों से माल खरीदते हैं ।

सहकारिता के अन्तर्गत मजदूरों को प्रतिदिन औसतन 15 रुपये मिलते हैं, इसके उन्हें महगाई भत्ता, वेतन के साथ छुट्टी और ग्रेज्युटी मिलती है । फिर भी कैन्नाकोर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जहां कि पूरे राज्य में 70,000 हथकरघे हैं जिनमें से केवल 10,000 करघे काम कर रहे हैं । सहकारी समितियों को मोटे सूत की सख्त जरुरत है और रियायती दर पर वित्तीय सहायता की, ताकि जब तक कि उनका माल मण्डी में न बिक जाए, वे अपनी जरुरत पूरी कर लें । अगर उनकी सभी समस्याओं पर जल्दी ही विचार किया जाए, फिर भी उद्योग को संगठित मिलों और बिजली चालित क्षेत्रों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा है ।

## तमिलनाडु

तामिलनाडु में 5.56 लाख करघे हैं । जोकि प्रतिवर्ष 60 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करते हैं और जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से लगभग 45 लाख लोग काम करते हैं । कुल उत्पादन का दसवां हिस्सा, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये है, विदेशों को निर्यात किया जाता है । सरकारी बजट में राज्य की योजना में 10 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय की और दूसरे 6 करोड़ रुपये की राशि के गैर-योजना में व्यय की व्यवस्था है । सन् 1985 के लिए इस उद्योग का लक्ष्य 70 करोड़ मीटर रखा गया है और इस लक्ष्यों की पूर्ति बेहतर क्षमता प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी अपनाने से की जा सकती है। राज्य द्वारा समर्थित सहकारी क्षेत्र केवल 10 करोड़ मीटर माल तैयार करता है और सरकार का प्रस्ताव है कि अगले वर्ष इसमें एक करोड़ मीटर की और वृद्धि कर दे ।

इस उद्योग के विकास के दोहरे उद्देश्य हैं:— (1) निरन्तर रोजगार दिलाना और (2) सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बराबर निश्चित आय दिलाना । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नई सरकारी समितियां बनाने का सुझाव है; ऐसे बुनकरों के लिए जिनके पास अपने हथकरघे नहीं हैं उनके लिए साझी करघाघर बनाने के लिए सहायता देना ; वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना; प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों और राज्य की शीर्षस्थ बुनकर सहकारी समिति के साम्य आधार को और सुदृढ़ करना ; विपणन की व्यवस्था करना और निवेश सुहैया करना जिनमें सस्ता ऋण भी शामिल है ; इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी को और उन्नत बनाना तो है ही ।

तमिलनाडु में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत अभी तक 2.07 लाख बुनकर शामिल हुए हैं जबकि कुल बुनकरों की संख्या 5.06 लाख है। वहां सहकारी आन्दोलन ने हथकरघा उद्योग के विकास और स्थायित्व में मदद दी है । उन लोगों को सहकारिता के माध्यम से वित्तीय सहायता, कच्चा माल और विपणन की सुविधाएं मिली । अपने धागा डिपो के द्वारा 1002 प्राइमरी बुनकर समितियों को सहकारी समितियां माल देती हैं जिसे कि कपड़े में बदल कर बाजार भेजा जाता है । 1978-79 में सहकारी समिति द्वारा तैयार कुल 53 करोड़ रुपये के कपड़े में से 33 करोड़ रुपये का कपड़ा को-आपटैक्स ने बेचा । को-आपटैक्स देश में हथकरघे की सबसे बड़ी विक्रेता संस्था है ।

प्रत्येक जिले में एक कारखाने के हिसाब से 12 सहकारी कताई कारखाने स्थापित किए गए और टेनी, मुडुकोट्टाई और धर्मपुरी के पिछड़े इलाकों में तीन और कारखाने स्थापित करने की योजना है । 90 लाख रुपये की लागत से सात आधुनिक रंग के कारखानें स्थापित किए जा रहे हैं । इरोड में तमिलनाडु कोआपरेटिव टैक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स 31 लाख रुपये की लागत से पोलिएस्टर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता ली जाएगी ।

प्राइमरी समितियों की सर्वोच्च बिक्री करने वाली संस्था को-आपटैक्स है जोकि सहकारी क्षेत्र में तैयार किए गए कुल कपड़े का 50 प्रतिशत कपड़ा बेचती है। इस सर्वोच्च संस्था से कहा गया है कि छोटी प्राइमरी सोसाइटियों, जिनकी वार्षिक बिक्री 5 लाख रुपये से कम है, का पूरा माल उठा ले और बाकी सोसाइटियों का 50 प्रतिशत उठा ले। अगर माल उठाने का वर्तमान स्तर कायम रखा जाना अपेक्षित है तो आशा की जाती है कि इस संस्था को आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपये का माल प्रतिवर्ष उठाने के लिए सक्षम होना चाहिए।

तमिलनाडु में को-आपटैक्स की 262 बिक्री यूनिटें हैं और देश के दूसरे भागों में 180 यूनिटें हैं। छठी योजना के दौरान 400 नए शोरूम (प्रदर्शन कक्ष) खोलने की और वर्तमान 300 एम्पोरिया को 150 लाख रुपये की लागत से आधुनिक बनाने की योजना है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से 88 नए शो रूम और 57 का आधुनिकीकरण इस वर्ष पूरा होने की आशा है। सहकारी क्षेत्र में तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 'को-आपटैक्स इंटरनेशनल' की स्थापना की गई है। इसने 1980-81 के दौरान 2.27 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया है।

इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद, सहकारी क्षेत्र में राज्य के करघों के लगभग 46 प्रतिशत करघे ही आ पाए यद्यपि सरकारी लक्ष्य 1985 के अंत तक 67 प्रतिशत का था। इस समय सहकारी क्षेत्र में 1115 प्राइमरी सोसायटी हैं और 58 रेशमी बुनकर सहकारी समितियां हैं।

सहकारी समितियों की इस विफलता का कारण क्या है? इसके विकास में कई बाधा हैं। दरअसल निजी क्षेत्र अब भी गतिशील, जोखिम लेकर काम करने वाला और व्यावसायिक गुणों वाला है। सहकारी आन्दोलन में राजनीतिक घुसपैठ भी अच्छी नहीं है। शिवरामन समिति ने तो छूट सहायता योजना को रद्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि गड़बड़ियों के कारण इस प्रणाली को भारी हानि पहुंची है। समिति का कहना था कि सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि का प्रयोग उत्पादन के सुधार और विपणन प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए किया जा सकता है। 1980-81 में राज्य ने 439 लाख रुपये की राशि सहायता में दी। 1981-83 में बढ़कर इस के 524 लाख रुपये होने की आशा है।

हथकरघा क्षेत्र तभी मिलों का मुकाबला कर सकता है जबकि वह नए डिजाइन बनाने लगे। पोलिएस्टर आदि के प्रयोग से विविधता तो आने लगी है। यों कहने को इस विविधता के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है पर किया जाता है बहुत ही कम। इसका कारण है कि हर केन्द्र की अपनी-अपनी विशेषता है। चेन्नी मलाई की पलंग की चादरें, ईरोड के सजावटी कपड़े व तौलिए, कांचीपुरम की साड़ियां सभी अपनी-अपनी विशेषताएं रखते हैं। यहां के बुनकर दूसरी तरह का माल बनाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे जोखिम मोल नहीं लेना चाहते और लकीर पीटना चाहते हैं। इसके अलावा, लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में इसलिए भी हिचकते हैं कि उससे काम ज्यादा बढ़ेगा। हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सलेम ने जो सुधरा हथकरघा तैयार किया है उससे उत्पादन लगभग 100 प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन बुनकरों ने इसे नहीं अपनाया। निजी संस्थाओं में बिना अधिक कठिनाई के परिवर्तन किए जा सकते हैं।

सहकारी क्षेत्र के पास ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं है जोकि निर्यात के प्रोत्साहन के विषय में पथ-प्रदर्शन कर सके जबकि निजी संस्थाओं के पास ऐसी प्रणाली है और वे बाहर से सम्पर्क भी रखते हैं। ठीक समय पर निवेशों का मिलना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वे यूनिटें जो विदेशी खरीददारों को माल निर्यात करती हैं, अपने काम ठीक समय पर सम्पन्न करती हैं। निर्यातक भी आयात और निर्यात की नीतियों में बराबर परिवर्तनों पर क्षुब्ध होते हैं। निर्यात के काम में जटिल औपचारिकताएं भी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सुदूर देशों में बाजार की स्थितियों पर सूचना प्राप्त की जाए, आयात करने वाले देशों से सम्बन्ध, उच्च स्तर पर व्यापार सम्बन्धी बातचीत और निर्यात के प्रोत्साहन के लिए दूसरे देशों को व्यापारी शिष्ट मंडलों के दौरों की व्यवस्था की जाए।

जहां तक ऋण का संबंध है, केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही वित्तीय सहायता देते हैं और रिजर्व बैंक सहकारी समितियों को रियायती ऋण देता है। फिर भी, व्यक्तिगत रूप से शिल्पियों को अपने ही साधनों का प्रयोग करना है।

## कुछ सुझाव

हथकरघा क्षेत्र का भविष्य क्या है? मूलतः यह एक कुटीर उद्योग है, जिसमें बुनकर परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। गांवों में, किसान के लिए यह एक सहायक धंधा है। जब तक कि इस धंधे को लाभदायक नहीं बनाया जाता, तब तक इस उद्योग के विकास में कई बाधाएं रहेंगी। अब तक इसका अस्तित्व सरकारी वैज्ञानिक सहायता पर आश्रित है। यह उल्लेखनीय है कि अब तक यह उद्योग जिस माल के निर्माण को अपना एकाधिकार समझता था वह माल अब आधुनिक मशीनें तैयार करने लगी हैं। इस उद्योग की अलाभकारी अवस्था धीरे-धीरे बुनकरों की संख्या को कम कर रही है और उद्योग में ठहराव-सा आ गया है। आवश्यकता इस बात की है कि कार्यकर्त्ताओं को आवश्यक पुनर्प्रशिक्षण दिया जाए और उन लोगों के लिए लाभकारी रोजगार की व्यवस्था की जाए जिन्हें सहकारी क्षेत्र में पूरा रोजगार नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई तन्त्र होना चाहिए जोकि यह नीति निर्धारित करे कि मिल के विकास के साथ-साथ कैसे हथकरघों का विकास किया जाए। □

अनुवाद :—
**ब्रजलाल उनियाल,**
**के०—38 एफ, साकेत,**
**नई दिल्ली — 110017**

# परिवार और परिवार नियोजन

पी० बी० देसाई

तीसरे विश्व के विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की दर में अब कमी आने लगी है । सरकारी जनसंख्या नीतियों में सफलता प्राप्त करने के फलस्वरूप जनसंख्या के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार तीसरे विश्व के जनसंख्या वाले सबसे बड़े देशों भारत और चीन को दिया गया है । चीन ने एक परिवार—एक बच्चा आदर्श को अपनाया है । वह जनसंख्या नीति को बड़ी दृढ़ता के साथ लागू कर रहा है । भारत का जनसंख्या नीति और आयोजन में अच्छा अनुभव रहा है; यद्यपि वह उदार लोकतंत्र के ढांचे के कारण इच्छानुसार सफल नहीं हो सकता है ।

प्रयास यही रहा है कि कुछ अपवादों को छोड़कर परिवार नियोजन के विचार को स्वेच्छा से अपनाया जाए तथा उसे आधुनिक जीवन का एक फैशन बनाया जाए । सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को परिवार नियोजन की विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है । उन्हें अपने और देश के भले के लिए सीमित परिवार के विचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है । काफी कोशिशों और गलतियों के बाद इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है और जनता में इस कार्यक्रम के बारे में एक खिचावन रही है । नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार परिवार नियोजन अपनाने से जनसंख्या वृद्धि की दर दो प्रतिशत कम हो गई है । संभव है कि आगामी वर्षों में यह और कम हो जाए ।

## विश्व जनसंख्या सम्मेलन

जनसंख्या को नियमित करके ही देश की प्रगति हो सकती है । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मैक्सिको में 1984 के उत्तरार्द्ध में होने वाले विश्व जनसंख्या सम्मेलन की तैयारी के रूप में इस उद्देश्य के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सम्मेलन की तैयारी के लिए विशेषज्ञों के समूह की चार बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है । इनकी प्रथम बैठक जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक में विचार-विमर्श का विषय था 'जनन-क्षमता और परिवार' । अन्य तीन बैठकों में स्वास्थ्य व मृत्यु, शहरीकरण व देशान्तरण तथा साधनों, पर्यावरण व विकास विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा । इस युक्ति-संगत प्रारम्भिक विचारण का मन्तव्य 1984 में आयोजित किए जाने वाले विश्व जनसंख्या सम्मेलन को वर्ष 1974 के बुखारेस्ट सम्मेलन के बाद जनसंख्या विषय पर उभरी विचारधारा और प्रवृत्तियों में अवगत करना है ।

इस बैठक का उद्घाटन जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी निदेशक तथा जनसंख्या पर मैक्सिको अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के महासचिव श्री राफास एम० सालास ने किया । उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने जनसंख्या को अपनी विकास योजनाओं का प्रमुख आधार बनाकर विकासशील देशों में अगुवाई का काम किया है । उन्होंने परिवार नियोजन में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया ।

## जन्म दर में गिरावट

मैक्सिको सम्मेलन के लिए विशेषज्ञों की इस प्रथम बैठक से जन्म दर में कमी करने के लिए केवल परिवार नियोजन के तरीकों का ही सहारा लेने के विचार में बदलाव आया । यह विचार विश्व जनसंख्या योजना के बुखारेस्ट कार्यक्रम पर आधारित है । भारत का मत भी यही रहा है कि राष्ट्रीय जन्म दर में कमी लाने के लिए जनता को बड़े परिवार की खराबियों से परिचित कराना श्रेयस्कर होगा ।

सन् 1930 की दशक में कई योरोपीय देशों में प्रजनन दर में काफी तेजी से कमी आने से उनकी जनसंख्या में काफी कमी होने का खतरा पैदा हो गया था । जनसंख्या में बूढ़ों की संख्या युवाओं की तुलना में अधिक हो गई । जन्म दर में कमी आने के कारण व्यापक रूप से परिवार का अस्तित्व ही खतरे में आ गया । सामाजिक परिवर्तन आने लगे । केवल शादी के भावनात्मक सम्बन्धों के कारण ही परिवार जीवित रहा । इससे उसका आकार सीमित होने लगा ।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः जन्म दर में उफान आया । इनमें से बहुत देशों की प्रजनन दर में वृद्धि होने लगी जो 1960 की दशक के शुरू तक रही । तुरन्त इसके बाद प्रजनन दर में फिर से कमी आने लगी जो अभी तक जारी है । अपने औद्योगीकरण के बाद इन देशों ने परिवार को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कीं । इसके विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों की जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई । कई विकासशील देशों ने सरकारी स्तर पर प्रजनन दर में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए । इसके अलावा एक अन्तर्राष्ट्रीय लॉबी ने 'जनसंख्या विस्फोट' के खतरे का बोध भी कराया तथा विकासशील देशों से जनसंख्या की विकास दर में कमी लाने के लिए सख्ती से उपाय लागू करने को कहा । यद्यपि विकासशील देशों को अपने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के रास्ते में कई बाधाओं को सामना करना पड़ता है, परन्तु फिर भी उन्होंने प्रजनन दर में कमी लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों

में काफी रुचि दिखाई है। विश्व व्यापी प्रयासों के जरिए कई देशों ने प्रजनन दर में कमी करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं और सन् 1960 के दशक के मध्य में प्रजनन दर में कमी आने के परिणाम नजर आने लगे। दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमरीका के कई देशों में प्रजनन दर में कमी आई है। मध्य-पूर्व अफ्रीका और मध्य दक्षिण एशिया के देशों में प्रजनन दर में कमी बड़ी तेजी से नहीं आई है। भारत में राष्ट्रीय प्रजनन दर में साधारण कमी दर्ज की गई है। परन्तु ऐसा लगता है कि इन देशों में प्रजनन दर में कमी की प्रवृत्ति जारी रहेगी।

प्रजनन दर में कमी आने से परिवार के आकार पर असर पड़ेगा। परन्तु इसकी बनावट अथवा सम्बन्धों की आन्तरिक भूमिका पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। परन्तु आने वाले समय में इन विकासशील देशों की जनसंख्या में एक अथवा दो बच्चों वाला परिवार होगा और सामाजिक ढांचा भी अब से भिन्न होगा तथा यह संभवत: पश्चिमी समाज के परिवारों जैसा होगा। अत: महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विकासशील देश अपनी प्रजनन दर में कमी करते हुए पश्चिमी सभ्यता के कुप्रभावों से बच पाएंगे ?

## जनसंख्या पर बहस

जनसंख्या पर अन्तर्राष्ट्रीय बहस, जो 1984 में मैक्सिको में पुन: शुरू की जाएगी, काफी देर से चल रही है। जहां तक एशियाई देशों का सम्बन्ध है, यह बहस 1954 में रोम विश्व जनसंख्या सम्मेलन से शुरू हो गई थी। यह बैठक मुख्य रूप से सामाजिक वैज्ञानिकों की थी। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में जनसंख्या के विषयों पर विचार-विमर्श किया। तदुपरान्त सन् 1963 में भारत ने प्रथम एशियाई और प्रशान्त जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जनसंख्या प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाली विकास की समस्याओं पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिया गया। सन् 1965 में बेलग्रेड में द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भी सामाजिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसके बाद 1972 में टोकियो में एशियाई जनसंख्या सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि मंडलों ने विकास के लिए परिवार नियोजन अपनाने की घोषणा की।

## जन आन्दोलन

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, परिवार नियोजन भारत सरकार की मुख्य नीतियों में से एक है। पिछले तीस वर्षों से इस कार्यक्रम में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। सन 1970 के दशक के अन्त में काफी धक्का लगने के बाद अब इस कार्यक्रम में प्रगति होने लगी है। अभी और आगे बढ़ना है। केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ विभिन्न राजनैतिक दल भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वचनबद्ध हैं।

मातृ और शिशु देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम भी इसका एक आवश्यक अंग बन चुका है। अब इस कार्यक्रम का लक्ष्य इसको जनता का आन्दोलन बनाना है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं स्वास्थ्य और शिक्षा सहित परिवार नियोजन नए बीस सूत्री कार्यक्रम का अंग है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा रहा है। □

# बदरंग चित्र

**राजेन्द्र सक्सेना**
आकाशवाणी
छतरपुर-471001

'कल्लू तुम क्यों रोते, —ये मोहन ने पूछा।
बिट्टू की क्यों फ्राक फटी—ये श्याम ने पूछा।
गोपी चदन नंगा घूमे—क्या है बात।
धनिया की आंखों से बरसे आंसू की बरसात।
बापू पीते दारू, मां खटिया पकड़े है।
सात भाई बहनों में केवल छह कपड़े हैं।
लगा लंगोटी कल गोबर स्कूल गया था।
पेट था खाली नाहीं उसने मुंह धोया था।
काम कहां से करता जब पास नहीं है कापी,
यहां तो रोटी के टुकड़ों पर आपा धापी।
मोहन तुम हो सुखी तुम्हारी माता अच्छी
पिता तुम्हारे समझदार हैं पढ़े लिखे हैं।
हमको तो बापू ने अभावों में छोड़ा
सात भाई बहनों ने घर मिट्टी सा फोड़ा।

# ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़—सहकारी अभिसंस्करण

**भारतवर्ष की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सहकारी आन्दोलन का भविष्य उज्जवल है। आवश्यकता प्रयास करने की है और अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त करने की है। इसमें न केवल ग्रामीण जीवन-पद्धति में समृद्धि लाने बल्कि रोजगार के अधिक अवसर जुटाने की असीमित क्षमता है। यदि सहकारी आन्दोलन का सुचारु रूप से संचालन किया जाए तो वह भारत की अर्थव्यवस्था को एक ठोस एवं स्वस्थ आधार प्रदान कर सकता है।**

आर० सी० व्यास

बेहतर कृषि बेहतर कारोबार और बेहतर जीवन, जैसे नारों के पीछे निहित अभिप्राय को प्रत्यक्ष में आगे लाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी अभिसंस्करण इकाइयों की स्थापना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक आधार प्राप्त करने एवं सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता हेतु सहकारिता एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सहकारी संगठन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर है। इसका कारण यह है कि उसे दोनों के लाभ प्राप्त हैं, परन्तु उसे दोनों में से किसी को भी होने वाली असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आज देश के आर्थिक विकास के लिए शासन वचनबद्ध है और उसे हर कीमत पर जनता को सामाजिक न्याय दिलाना ही होगा। लेकिन यह समस्या उतनी ही कठिन है, क्योंकि हमारी जनता अधिकांशतः निरक्षर एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है और इन्हीं दो कारणों से वे टैक्नालाजी और विज्ञान का उपयोग अपनी कृषि उपज बढ़ाने और आय में वृद्धि करने हेतु नहीं कर पाते। विशेषकर कृषि उत्पादक और अन्तिम उपभोक्ता के मध्यम बिचौलियों के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। अधिकांश लाभ बिचौलिया खा जाता है और लाभ का कुछ अंश ही कृषक को मिल पाता है। यदि कृषक गण अपने स्वयं के अभिसंस्करण इकाई स्थापित करलें तो वे बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बच सकते हैं और अभिसंस्करण कार्यकलापों से होने वाले लाभों को आपस में बांट सकते है। हमारे देश के अधिकांश कृषक वर्ग निर्धन है, अतः स्वतंत्र रूप से अपने स्वामित्व में ऐसे अभिसंस्करण इकाइयां रखने की हिम्मत नहीं कर सकते और यहीं सहकारिता की भूमिका आरंभ होती है। सहकारी संस्थाएं आर्थिक सकेन्द्रण के दुष्परिणाम लाए बिना और वैयक्तिक रुचि पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, देश के आर्थिक विकास को गति दे सकती है।

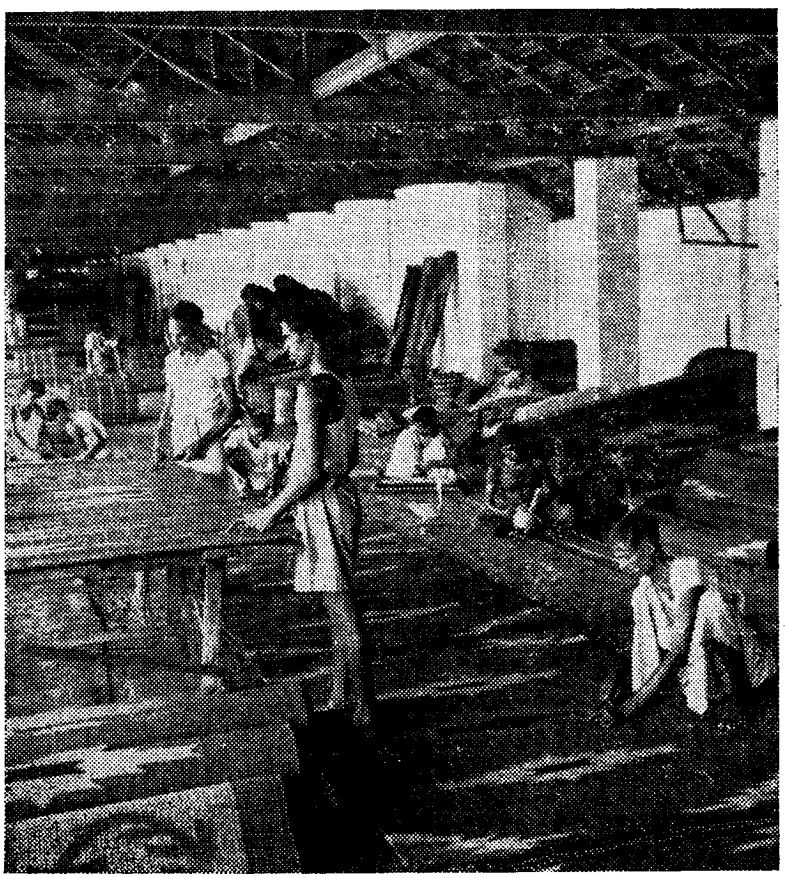

सहकारिता आर्थिक विकास का अभिन्न अंग है

## आत्मनिर्भरता—शोषण से मुक्ति

हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर कृषकों, कारीगरों, उत्पादकों एवं कामगारों हेतु एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न तत्वों द्वारा किए जाने वाले उपभोक्ताओं के शोषण से रक्षा हेतु एवं उन्हें अपने आपको सुदृढ़ बनाने हेतु सहकारिता निश्चित रूप से

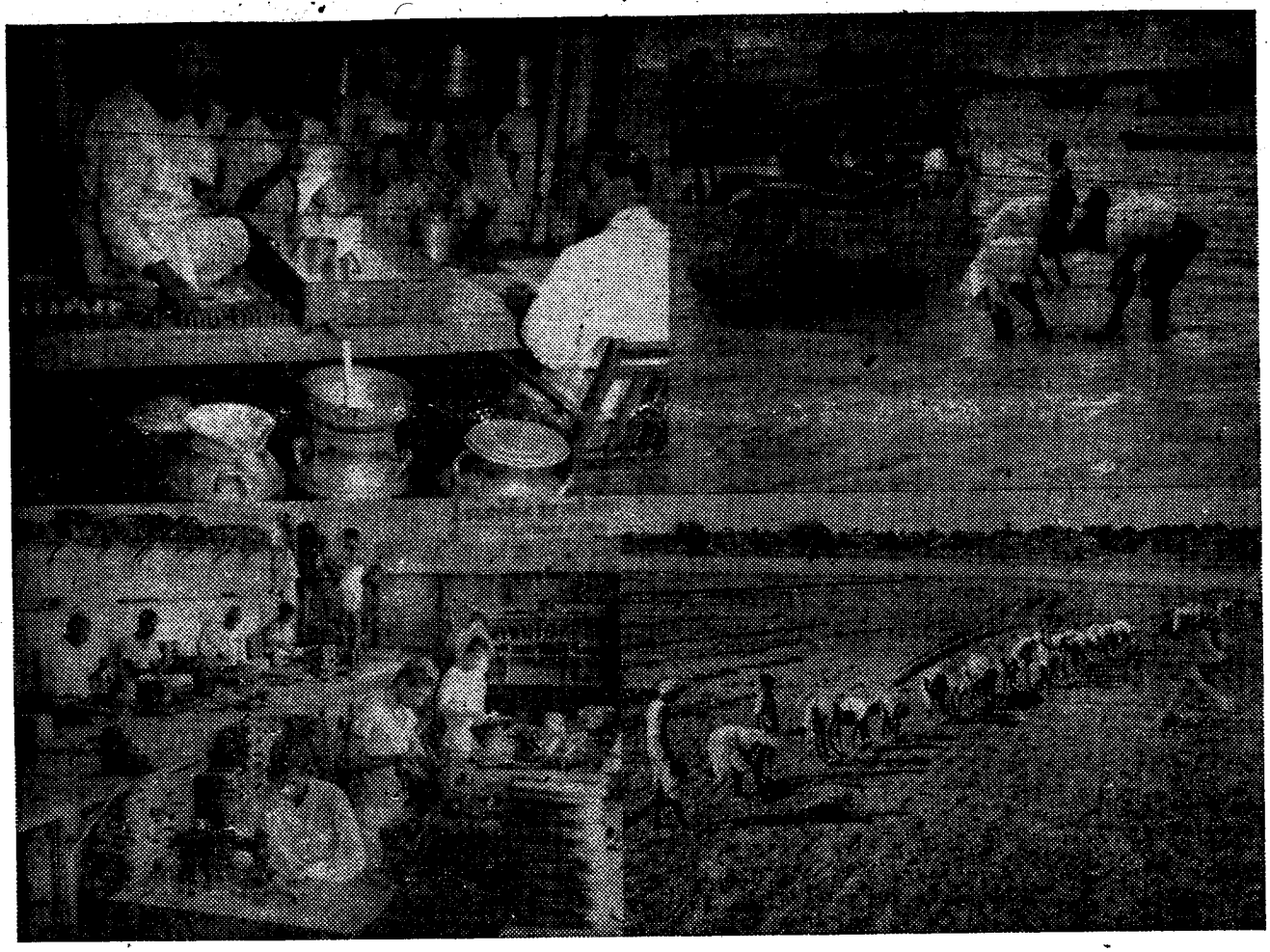

**सहकारी आंदोलन की गतिविधियां बहुमुखी एवं विस्तृत हैं ।**

सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । दुर्बल व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आर्थिक कार्यक्रम सम्पन्न नहीं कर सकते। समाज के शक्तिशाली तत्व उन्हें नष्ट कर देते हैं । जैसे कृषकों का शोषण साहुकारों द्वारा किया जाता है, वैसे ही कर्मचारियों का शोषण नियोक्ताओ, द्वारा और उपभोक्ताओं का व्यापारियों द्वारा किया जाता है। सहकारिता इन कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के लोगों को साहूकार, नियोक्ता एवं व्यापारी बनाकर ऐसे शोषण से बच निकलने में सहायता करती है ।

विशेष बात यह है कि इन सहकारी प्रयासों से शोषकों एवं बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है और तब उत्पादक को अपनी उपज का अधिक दाम भी मिलेगा और उपभोक्ता को भी कम दाम पर यह उपज उपलब्ध हो सकेगी । यह बिचौलियों के लाभों को समाप्त करने पर ही संभव है। तब उस लाभ का एक अंश उत्पादकों की आय में जोड़ दिया जाएगा और शेष उपभोक्ता से वसूल नहीं किया जाएगा और इस प्रकार एक ही वस्तु के लिए उत्पादकों को अधिक मूल्य प्राप्त होगा और उपभोक्ताओं को कम कीमत देनी पड़ेगी ।

सहकारिता न केवल भौतिक दृष्टि से वरन् नैतिक दृष्टि से भी सदस्यों का सहयोग करती है। जनहित के लिए दूसरों के साथ काम करते करते उनको स्वयं को उत्तम योग्यताएं प्रगट होती है और इन योग्यताओं को उपभोग में लाते हुए मनुष्य स्वयं बेहतर बनता जाता है। हमारे जैसे विकासशील देश की सरकार सहकारिता को आर्थिक सम्पन्नता के उपकरण के रूप में यदि अपना लेती है तो देश के आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त कर जनता को सामाजिक न्याय दिला सकती है ।

## विश्वव्यापी प्रभाव के चिन्ह

विश्व के लगभग 104 देशों में सहकारिता के सिद्धान्त को अपना लिया है और विश्व में चारों ओर सहकारी संस्थाएं अच्छी प्रगति कर रही हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों ने उल्लेखनीय प्रगति करली है । आयरलैण्ड, नार्वे, फिनलैण्ड, डेनमार्क एवं स्वीडन आदि देशों में कुल क्रय-विक्रय का 70 से 80 प्रतिशत कारोबार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होता है । अमरीका में सहकारी विपणन एक महत्वपूर्ण गति विधि है । फ्रांस और बेलजियम में सहकारी बीमा समितियां लोकप्रिय हो रही हैं। जबकि स्वीडन में सहकारी भूमि समेकन काफी समय से एवं सहकारी बैंकिंग आन्दोलन हंगेरी की प्रमुख ऋण सस्था है । इजराइल, रूस और मेक्सिको जैसे कुछ देशों में संयुक्त कृषि, सामूहिक कृषि और उन्नत कृषि कार्य करने के बाद अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जापान और जर्मनी इन दो देशों में जो द्वितीय विश्वयुद्ध में तबाह हो गए थे, कृषि और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन के कारण भारी

प्रगति संभव हुई हैं। लेकिन भारत के मामले में हर कोई यह कह सकता है कि सहकारी आन्दोलन अभी तक मुख्यतः ऋण प्रदाय है। यद्यपि अन्य दिशाओं में विशेष कर अभिसंस्करण उद्योगों में कुछ प्रगति अवश्य हुई है।

## अभिसंस्करण का विकास

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व कोई सहकारी अभिसंस्करण इकाई स्थापित नहीं थी। यद्यपि गुजरात में 1921 में एक सहकारी रूई ओटाई मिल की स्थापना हुई थी और 1933 में महाराष्ट्र में कुछ चीनी कारखाने सहकारिता के आधार पर प्रारम्भ किए गए थे। अभिसंस्करणों-उद्योग का समग्र रूप से विकास, योजनाओं के ही अन्तर्गत हुआ है। चीनी मिलें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्र 13 थीं, पांचवीं योजना के अंत तक 168 हो गई हैं। रूई ओटाई और अभिसंस्करण इकाइयां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 84 से शुरू हो कर पांचवीं योजना के अन्त तक 209 और इसी तरह जूट मिलें 17 से बढ़ कर 48 हो गईं। चावल मिलें 12 से बढ़ कर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 831 हो गई हैं। तेल मिलें और अन्य मिलें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 20 एवं 148 थीं, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 205 एवं 912 हो गई हैं। अर्थात अभिसंस्करण इकाइयों का विकास क्रम पहली योजना में 25, द्वितीय योजना में 402, तृतीय योजना में 808, चतुर्थ योजना में 888 और पांचवी योजना में 950, इस प्रकार रहा।

स्पष्ट है कि पिछली पांच योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी अभिसंस्करण द्वारा की गई प्रगति प्रशंसनीय है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में चावल मिलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर चीनी उद्योग द्वारा किए गए कार्यों से सन्तुष्ट हो, शासन ने भविष्य में चीनी मिलों के लिए सहकारिता को लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। हमारे देश में कुल चीनी मिलों की संख्या 360 है, जिसमें से 168 मिलें सहकारिता के पास हैं। अर्थात् कुल संख्या के आधे से कम लेकिन उत्पादन उनका कुल चीनी उत्पादन का 52.7% है। लाखों लोग सहकारी अभिसंस्करण के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहें हैं और शहर तथा गांव सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो रहें हैं। कृषि औद्योगिक क्रान्ति तेजी से फैलती जा रही है।

## सहकारी अभिसंस्करण के महत्वपूर्ण योगदान

देश के आर्थिक विकास में सामान्य रूप से एवं सहकारिता के विकास में विशेष रूप से अभिसंस्करणों का योगदान उल्लेखनीय है। शासन ने भी इसे स्वीकारा है। योगदान निम्न कहे जा सकते हैं :—

## ग्रामीण औद्योगिकरण का आधार बिन्दु

सहकारी अभिसंस्करण कृषि ऋण तथा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के अतिरिक्त ग्रामीण औद्योगिकरण आधारबिन्दु होगा— यह स्व० डी० आर० गाडगिल का कथन था। यह सत्य है, जहां कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अभिसंस्करण उत्तम ढंग से कार्यान्वित किया गया है वहां तत्काल आर्थिक व्यवस्था में सुदृढ़ता आई है।

## सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार

सहकारी अभिसंस्करण उद्योग के कारण कृषि में तकनीकी परिवर्तन आया है। कृषि उद्यमियों का उद्भव हुआ है। योजना आयोग ने इसे सहकारी ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक बताया है। जिन क्षेत्रों में भी सहकारी अभिसंस्करण उद्योग स्थापित हुए हैं वहां समाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है।

## सहकारी विपणन का एक अनिवार्य अंग

सहकारी अभिसंस्करण विपणन का एक आवश्यक अंग है। विशेषकर नगदी फसलों के मामलों में तो यह अनिवार्यता है। अभी सहकारी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज का अभिसंस्करण करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं हुई है इसलिए सहकारी विपणन का प्रभाव व महत्व सीमित है। ऐसी फसलों के मामलों में जिनका उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाने से पहले अभिसंस्करण करना पड़ता है, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच पाए जाने वाले मूल्य में काफी अधिक अन्तर है। अतः यह व्यापार करने के लिए सहकारिता द्वारा उनका अभिसंस्करण करना आवश्यक है।

## कृषि ऋण का अभिसंस्करण से संबंधीकरण

सहकारी ऋण का विपणन से तो संबंधीकरण है ही लेकिन अभिसंस्करण के साथ संबंधीकरण भी उतना ही आवश्यक है। इस मामले में महाराष्ट्र ने काफी सफलता अर्जित की है। वहां सहकारी चीनी कारखाने गन्ने की फसल उगाने के लिए प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा प्रदत ऋणों की वसूली करते हैं। अतः सहकारी अभिसंस्करण का पर्याप्त विकास आवश्यक है।

## उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की सफलता का आधार

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए सहकारी अभिसंस्करण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरणार्थ देश के कई भागों में सहकारी चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी के वितरण का सहकारी आपूर्ति अभिकरणों को सौंपा गया है और यह व्यवस्था सहकारी अभिसंस्करण इकाई और सहकारी आपूर्ति अभिकरणों दोनों के लिए फायदे की है। हमारे देश में अब विचारधारा यह चल पड़ी है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डारों और उनकी नियंत्रण संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। अतः इस दिशा में सहकारी अभिसंस्करण इकाइयां और उपभोक्ता भण्डारों में आवश्यक सामंजस्य एवं सम्पर्क आवश्यक है।

## समाजवादी समाज की स्थापना

हमारे देश में समाजवादी समाज की संरचना में सहकारिता की पृष्ठ भूमि का सही तरह से मूल्याकन किया है। देश का द्रुतगति से आर्थिक विकास करना और सम्पति का समान रूप से वितरण करना, दो मुख्य लक्ष्य हमारे सामने हैं। इन लक्ष्यों के परिपेक्ष में सहकारी अभिसंस्करण उद्योग एक महत्व रखते हैं। इनकी स्थापना से देश के आर्थिक विकास का सोपान विस्तारित होगा और परिणामस्वरूप उत्पादन में होने वाली वृद्धि समाज के बड़े वर्ग मध्य बंट जाएगी और सम्पति का कुछ ही हाथों में एकत्रित होना संभव नहीं होगा।

### सहकारिता का नैसर्गिक विकास आवश्यक

सहकारिता एक नैसर्गिक विकास नहीं है, अपितु एक सहकारी नीति है। यदि हम बिचौलियों को समाप्त करना चाहते हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सहकारिता के सिद्धान्तों को अंगीकार करना होगा। अभी तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार की नीति के कारण सहकारिता हम पर लाद दी गई है या फिर हम राजनैतिक नेताओं या बड़े भूस्वामियों के दबावों में आकर इन औद्योगिक सहकारी समतियों के सदस्य बन गए हैं। अतः जरूरी है कि आर्थिक-सामाजिक विकास के इस सौपान को मजबूती से खड़ा किया जाए। तकनीकी जानकरी सुलभ कराई जाए, सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण की उचित प्रभावशाली व्यवस्था की जाए और योग्य कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त की जाएं। तभी सहकारी अभिसंस्करण हमारे देश में सफल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारत देश की आत्मा निवास करती है, यदि सुख शान्ति समृद्धि लाना है, देश को समृद्ध बनाना है तो सहकारी अभिसंस्करण की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। □

आर० सी० व्यास
सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र
आगर मालवा (म० प्र०)

## क्या आप जानते हैं कि

—भारत में इस समय 32 लाख से अधिक कुष्ठ रोगी हैं।

—लगभग 25 लाख कुष्ठ रोगियों का पता लगा लिया गया है और 22 लाख कुष्ठ रोगियों का इलाज चल रहा है।

—प्रत्येक वर्ष लगभग 2.3 लाख नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया जाता है।

—इनमें लगभग 25 प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और एक चौथाई रोगी शारीरिक विकृति से पीड़ित हैं।

—लगभग चार लाख कुष्ठ रोगियों का सामाजिक आर्थिक जीवन विश्रृंखलित हो चुका है और दो लाख कुष्ठ रोगी भिखारी बन चुके हैं।

—हमारे देश में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए 8000 केन्द्र हैं।

—1951 से अब तक इन केन्द्रों द्वारा 10 लाख कुष्ठ रोगियों को रोगमुक्त कर इन केन्द्रों से वापिस भेजा जा चुका है। इसी अवधि के दौरान कुष्ठ रोग पर काबू पाने के लिए 4675 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

—छठी पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ रोग पर काबू पाने के लिए 4000 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो और अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

—इस शताब्दी के अन्त तक देश में कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त करनेहेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन बोर्ड का गठन किया है।

## डूबते को तिनके का सहारा

उत्तरी केरल के पातम्बी का निवासी हाईड्रोस पाकिस्तान में नौ वर्ष जेल की सजा भुगतने के बाद स्वदेश लौटा।

नौ सदस्यों के बड़े परिवार में वह जल्दी ही अमीर बनना चाहता था। अमीर बनने के इसी चक्कर में वह पाकिस्तान की जेल में पहुंच गया।

केरल में वापस आने के बाद वह बहुत परेशान था और अपनी इहलीला ही समाप्त कर देना चाहता था। उसका परिवार भी तितर बितर हो गया था। उसके पास न भोजन था और न ही रात में सोने के लिए कोई जगह।

उसकी मदद की अखबार वालों ने। उन्होंने उसके बारे में अखबारों में विस्तृत रूप से छापा। इस पर केनरा बैंक की थिसवेंगापुरा शाखा का ध्यान गया। पालटम्बी विकास खण्ड की सिफारिश पर बैंक ने हाईड्रोस को गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,000 रुपये का ऋण दिया।

डूबते को तिनके का सहारा मिला। हाइड्रोस ने इस ऋण से चाय और लेखन सामग्री की दुकान खोली। उसकी दुकान चल पड़ी। उसका भाग्य चमका। अब उसके चेहरे पर रौनक आ गई।

उसने अपनी किश्तें समय पर चुका दी हैं। अब उसकी व्यापार बढ़ाने की योजना है।

हाईड्रोस बढ़िया चाय बनाता है और ग्राहक बड़े चाव से उसकी चाय की चुस्कियां लेते हैं। □

नए बीस सूत्री कार्यक्रम में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य देहात के गरीबों के लिए उत्पादन पूंजी उपलब्ध कराना है जिसमें उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके और वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें । समन्वित ग्रामीण देश के सभी 5011 विकास खण्डों में लागू है । छठी योजना अवधि में इस कार्यक्रम के अधीन 1 करोड़ 50 लाख गरीब परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है, इस हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था

## आयकर विधान

केन्द्र एवम् राज्य सरकारों के बराबर हिस्से के योग के रूप में की गई है । इसके अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण भी जुटाया जायेगा ।

इस विशाल एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इतनी अधिक धन राशि का जरिया राजकीय प्रावधान है । प्रश्न यह है कि उच्च आय वर्ग के धनी व्यक्तियों जिनके हाथों में राष्ट्र की अधिकांश पूंजी केन्द्रित है, का क्या योगदान है ? देश के 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण गरीब जन समुदाय के आर्थिक कल्याण एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की ओर धनी वर्ग को आकर्षित करने की आवश्यकता है । इसका उपाय आयकर विधान भी है । इस विधान के द्वारा देश के धनी वर्ग में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रति चेतना एवं संवेदनशीलता जागृत करें । सरकारी बजट के साथ-साथ जन-साधनों से धनराशि की भी व्यवस्था की जा सकती है । इस हेतु वर्तमान में आयकर विधान में उपबन्धित प्रावधान निम्नलिखित है । जिसम ग्राम विकास के लिए किए गए व्यय और भुगतान सम्बन्धी कटौतियां स्वीकृत करने की व्यवस्था है । आयकर विधान की इस व्यवस्था को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में धनी वर्ग का सहयोग प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है, यह गहन एवं विस्तृत अध्ययन का विषय है ।

आयकर विधान में ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान उपबन्धित है ––

**खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के लाभ–धारा 23 बी एवं 23 बी बी** :––खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किसी संस्था की ऐसी आय जो खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय अथवा विपणन के व्यापार से उदय हुई हों निम्न शर्तें पूरी होने पर पूर्णतः कर मुक्त होती है :––

(1) यह संस्था एक सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित हो अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था हो ।

(2) संस्था का उद्देश्य लाभोपार्जन न हो बल्कि पूर्णतः खादी तथा ग्रामीण विकास हेतु हो ।

## एवं

(3) यह संस्था खादी तथा ग्रामीण उद्योग कमीशन द्वारा अनुमोदित हो ।

(4) यह संस्था अपनी सम्पूर्ण आय का उपयोग खादी तथा ग्रामीण उद्योग के विकास हेतु करती हो ।

किसी राज्य से खादी अथवा ग्राम उद्योग के विकास के लिए राज्य द्वारा या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी सत्ता की आय ।

2. कृषि विकासार्थ छूट––धारा 35-सी––ऐसी कोई कम्पनी अथवा सहकारी समिति जो कृषि, पशु पालन, डेयरी उद्योग या मुर्गीपालन से प्राप्त होने वाली अथवा उत्पादन से वस्तुओं के निर्माण या प्रसंस्करण में लगी हो और वह कम्पनी अथवा सहकारी समिति के द्वारा इन वस्तुओं के बोने वाले, उत्पादकों अथवा कृषकों को निम्न माल, सेवाएं अथवा सुविधाऐं प्रदान करने में कोई व्यय करती है तो उसे गतवर्ष में किए गए ऐसे व्यय की राशि के 1 ½ के बराबर राशि की छूट दी जाएगी ––

(1) ऐसे बोने वालों, उत्पादकों या कृषकों के उपयोग के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों एवं खेती के उपकरणों पर किए गए व्यय ।

(2) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्म या मुर्गीपालन के आधुनिक तरीकों की जानकारी सलाह एवं इन तरीकों के प्रदर्शन एवं प्रसार पर व्यय ।

(3) अन्य ऐसे माल, सेवाएं अथवा सुविधाएं जो निर्धारित की जाएं ।

उपरोक्त छूट की राशि ज्ञात करने के लिए व्ययों की गणना करते समय इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं के बदले में कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा प्राप्त प्रतिफल या मुआवजे की राशि घटा दी जाएगी । इस प्रकार के व्ययों के सम्बन्ध में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35 सी के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत हो जाए तो ऐसे व्ययों के लिए अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं होगी ।

3. **ग्रामीण विकास छूट––धारा 35 सी**––यदि कोई कम्पनी या सहकारी समिति

## ग्राम विकास

करदाता गत वर्ष में ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम पर कोई व्यय करता है तो ऐसे करदाता को इस धारा की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यय की राशि की कटौती दी जाएगी, शर्त यह है कि ऐसी राशि व्यय करने से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी से प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।

यदि उपर्युक्त करदाता द्वारा किए गए व्यय के फलस्वरूप कोई भी सम्पति जो भवन, मशीन संयन्त्र, अथवा फर्नीचर हो सकता है, प्राप्त होती है तथा करदाता ऐसी सम्पति को सम्बन्धित गतवर्ष की समाप्ति से पूर्व अपने स्वामित्व में पृथक नहीं करता तो करदाता को ऐसे व्यय के सम्बन्ध में कटौती स्वीकृत नहीं होगी, परन्तु इस सम्पति के सम्बन्ध में करदाता को ह्रास स्वीकृत होगा । जिस कर-निर्धारण वर्ष में इस धारा की कटौती की मांग की जाती है उसमें सम्बन्धित आय के नक्शे के साथ यदि करदाता निर्धारित प्रारूप में ऐसे व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो इस धारा के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। यह विवरण चार्टर्ड एकाउटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होना चाहिए । इस धारा के अन्तर्गत यदि ऐसे व्यय के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष में कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो उस व्यय के सम्बन्ध में उसी कर निर्धारण वर्ष या अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी।

**स्पष्टीकरण**

(1) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने अथवा जनता के जीवनस्तर को ऊंचा करने का कोई भी कार्यक्रम शामिल है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो 10,000 या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा ऐसी किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र के बाहर 15 किलोमीटर की परिधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हो।

---

## आर० एल० सोनेल

---

**4. ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संघ अथवा संस्थाओं को दिए गए भुगतान—धारा 35 सी सी ए**—गत वर्ष में यदि कोई किसी करदाता द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को किसी धनराशि का भुगतान किया जाता है तो उसको ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि की कटौती स्वीकृत कर दी जाएगी।

(1) किसी ऐसी संस्था या समुदाय को भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना हो। यह कार्यक्रम निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा वह धनराशि इस कार्यक्रम में व्यय की जानी चाहिए।

(2) किसी ऐसी संस्था या समुदाय 1 जून 1979 के बाद किया गया भुगतान उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो।

इस धारा के अन्तर्गत कटौती तभी स्वीकृत होगी जबकि यह संस्था अथवा समुदाय तथा उसका ग्राम विकास का कार्यक्रम निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। निर्धारित प्राधिकारी ऐसा अनुमोदन एक समय में तीन वर्ष से अधिक के लिए नहीं दे सकता है। यदि इस धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत हो जाए तो धारा 35 सी अथवा 35 सी सी अथवा 80 जी के अन्तर्गत इस भुगतान के लिए कोई कटौती नहीं दी जाएगी ।

**स्पष्टीकरण**—ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र की जनता के स्तर को ऊंचा उठाने वाले या उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने वाले किसी कार्यक्रम से है।

**5. वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दिए गए दोनों के संबन्ध में कटौती धारा 80 जी जी ए**—इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन करदाताओं को दी जाती है जिनकी व्यापार अथवा पेशे की आय नहीं है। निम्न उद्देश्यों के लिए दिए गए दोनों की सम्पूर्ण राशि की कटौती दी जाती है।

(1) किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को अथवा किसी विश्वविद्यालय, कालेज अथवा संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में प्रयोग के लिए गत वर्ष में दी गई धनराशि ऐसी संस्था का ऐसे कार्यों के लिए अनुमोदित होना आवश्यक है।

(2) गतवर्ष में ऐसी संस्था अथवा संघ (जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास का कोई कार्यक्रम चलाने का है) को दी गई धनराशि, इसका उपयोग धारा 35 सीसीए के अर्न्तगत अनुमोदित किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन में ही किया जाता है।

(3) गत वर्ष में किसी संस्था अथवा संघ को दी गई धनराशि, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास के कार्यक्रम को चलाने वाले व्यक्तियों को इसका प्रशिक्षण देने का है, बशर्ते कि यह संस्था अथवा संघ इस कार्य के लिए अनुमोदित है।

(4) प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने का कार्यक्रम चलाने वाली किसी संस्था को गतवर्ष में दी गई धनराशि, यदि इसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए किसी कार्यक्रम में किया जाए बशर्ते यह संस्था तथा इसका कार्यक्रम इस सम्बन्ध में अनुमोदित है। यह संसोधन 1-6-1982 में प्रभावी होगा अर्थात कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से लागू होगा।

आयकर विधान में उपलब्ध वर्तमान प्रावधानों के साथ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इनको अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत है :—

### सुझाव

1. आयकर विधान की धारा 35 सी सी के अन्तर्गत दी जाने वाली ग्रामीण विकास छूट कम्पनी और सहकारी समिति करदाता के अतिरिक्त सभी करदाताओं (व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार, फर्म आदि) को भी दी जानी चाहिए।

2. आयकर विधान में उपबन्धित प्रावधानों के आधार पर जनसहयोग पाने हेतु समयबद्ध निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

3. जिला स्तर निर्मित ग्रामीण विकास संस्थाओं अथवा जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों के अध्यक्षों एवं परियोजना द्वारा अपने-अपने जिले से आयकर अधिकारियों की मदद में अधिकाधिक करदाताओं से सम्पर्क स्थापित कर उनका ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निश्चित जन सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

4. आयकर विधान में ग्रामीण विकास सम्बन्धित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी विभिन्न करदाताओं को दिए गए जाने हेतु विशेष विज्ञापन अभियान पर बल दिया जाना चाहिये।

5. इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर विधान की विभिन्न धाराओं के

अन्तर्गत किए गए व्यय अथवा भुगतान की राशि की छूट के साथ अतिरिक्त छूट की व्यवस्था करके करदाताओं को और अधिक आकर्षित करना आवश्यक है जिसमें विभिन्न करदाता इन छूटों को पाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम में हिस्सेदार बन सकें।

6. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन में अपनाए गए सभी साधनों में केवल आयकर विधान ही दोहरी उपयोगिता लिए हुए है, जिसके तहत करदाता ग्रामीण विकास में योगदान देकर निर्धारित छूट द्वारा कर से राहत पाता ही है साथ ही करदाता के योगदान से कुछ निश्चित प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति होने पर ग्रामीण विकास क्रियान्वयन मशीनरी को भी छुटकारा मिल जाता है और वह अपना ध्यान अन्य साधनों की ओर अधिक केन्द्रित कर सकती है।

7. देश के सभी 5011 विकास खण्डों में विभिन्न धनी करदाताओं का ग्रामीण विकास के लिए जनसहयोग पाने हेतु लक्ष्यों के साथ योजनाबद्ध प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है।

8. छठी योजना अवधि के लिए निर्धारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों का कुछ निश्चित प्रतिशत भी यदि आयकर विधान के प्रावधानों के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए तो निश्चित रूप से इस हेतु आवंटित बजट में बचत होगी।

9. राष्ट्रीय योजना की सफलता पूर्णरूप से जनसहयोग पर आधारित रहती है। छठी योजना का ग्रामीण विकास प्रमुख कार्यक्रम है, इसकी सफलता हेतु ग्रामीण गरीबों को भी अपने आत्मसम्मान के साथ आर्थिक स्वावलम्बन के लिए अपने क्षेत्र के करदाताओं से आर्थिक सहयोग प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए।

10. करदाताओं को अपना पुनीत कर्तव्य समझाते हुए मानवीय दृष्टिकोण एवं रुचि के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भागीदार बनना चाहिए।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम को केवल "राजकीय कार्यक्रम" नहीं समझा जाए बल्कि आयकर विधान के तहत उच्च आयवर्ग के करदाताओं का कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए।

12. आयकर विधान के प्रावधानों को यदि निष्ठा के साथ अमल में लाया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के कई कार्यों के लिए जनसाधनों का उपयोग करदाताओं की स्वेच्छा से किया जा सकेगा।

13. विभिन्न करदाताओं को इस कार्यक्रम की ओर अधिक आकर्षित करने के लिए कर सलाहकारों या कर अधिवक्ताओं का सहयोग भी प्राप्त करना आवश्यक है। कर सलाहकारों या कर अधिवक्ताओं को इस हेतु पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना चाहिए। □

**आर० एल० सोनेल**
**वरिष्ठ व्याख्याता एवं स्नातकोतर विभागाध्यक्ष,**
**(लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग)**
**राजकीय महाविद्यालय नागौर राज० 341001**

# क्षणिकाएं

## □दरें

दादी कहती है
महंगाई आ गई है
दादी को नहीं मालूम
पहले आदमी को खरीदना उतना आसान
नहीं था।
अब आदमी बहुत सस्ता हो गया है।

## □फर्क

तुम्हारे शहर में
नक्शों के अनुसार
सड़कें व मुहल्ले बनाए जाते हैं
मेरे गांव में
सड़कों और मुहल्लों के अनुसार
नक्शे
मेरा गाँव तुम्हारे शहर से
ताकतवर है।

**गम्भीर सिंह पालनी**
नैनीताल बैंक लिमिटेड
कोर्ट रोड़ मुजफ्फरनगर
(उ० प्र०)

## □शहर

यहां सम्बंधों की नदी
सहज नहीं बहा करती
कि निश्छल बहती रहे हर पहर
यहां उसे काटकर
जरूरतों के मुताबिक
लोग बना लिया करते हैं नहर।
ये है शहर।

## □गांव

गांव में हैं जो रिश्ते बनाए जाते
वे कभी नहीं भुनाए जाते
वहां रिश्तों की बहती है नदी
जिसे नहर नहीं बना पाई बीसवीं सदी।

# सहकारिता का प्रकाश :

# विद्युत समिति मनासा

कैलाश जैन

अमरीका के 98 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने वाली ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी अपने देश में इनकी सम्भावनाओं की पड़ताल की तथा अनुकूल रपट मिलने पर 1969 में बतौर प्रयोग के 5 पायलट (मार्गदर्शी) समितियों का गठन किया। इसी मध्य ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी (1968) की शिफारिश पर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की स्थापना की गई। निगम की तकनीकी व आर्थिक सहायता से इन समितियों ने कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास विद्युत प्रदाय हेतु उचित वातावरण का निर्माण तथा गांवों का तेजी से विद्युतिकरण करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। इन बेहतर परिणामों के प्रकाश में देश के कई भागों में विद्युत समितियों का गठन प्रारम्भ हुआ।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले की मनासा तहसील में भी "ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति" का गठन किया गया। प्रदेश की यह दूसरी सहकारी समिति थी। समिति ने 27 मार्च 79 को मनासा तहसील की सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था विद्युत मण्डल से हस्तान्तरित कर ली। समिति ने 164.70 लाख रुपये की एक परियोजना तैयार की जिसमें विद्युत मण्डल की सम्पति का भुगतान भी शामिल था। इस सम्पति का विकास कर 5 वर्षों में इस परियोजना को पूर्ण किया जाना था।

ये समितियां राज्य विद्युत मण्डलों से बड़ी मात्रा में विद्युत क्रय करती हैं तथा वितरण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाती हैं। वितरण व्यवस्था को सुधारती व उसका विकास करती है। मनासा की इस समिति ने 1979 में 1081 कि० मी० लम्बी विद्युत लाइन प्राप्त की थी, जिसे 5 वर्ष पश्चात् 1771 कि० मी० तक, परियोजना के अन्तर्गत बढ़ाना था। समिति ने सवा तीन वर्ष की अल्पावधि में ही इस लक्ष्य का 89 प्रतिशत भाग पूर्ण कर 1680 कि० मी० तक विस्तार दे दिया। इस प्रकार हस्तान्तरित 195 उप केन्द्रों को जून 1982 में ही बढ़ाकर 297 कर दिया जो कि समिति के तीव्रगति से कार्य करने का प्रमाण पत्र है।

मगर इससे भी ज्यादा उपलब्धि समिति ने विद्युत सेवा कार्य में प्राप्त की है। 1984 में सिंचाई पम्पों को दिए कनेक्शन की संख्या, परियोजना के अनुसार, 5000 होनी थी। मगर 1982 तक ही 5365 कनेक्शन देकर 170 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया। 210 औद्योगिक कनेक्शन का जो लक्ष्य 1984 में पूर्ण किया जाना था वह 1982 तक ही 247 कनेक्शन देकर 129 प्रतिशत पूरा कर लिया गया। ये आंकड़े बतलाते है। कि विद्युत सेवा कार्य अपनी निर्धारित दर से दो गुनी रफ्तार से किया गया है।

चूंकि संस्था का गठन सहकारिता के आधार पर किया गया है। अतः उपभोक्ताओं की संस्था में सदस्यता व पूंजी में भागीदारी भी एक अहं मुद्दा है। उपभोक्ताओं को समिति की सदस्यता देने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। जिसके अनुसार प्रतिवर्ष 1000 नए सदस्य बनाए जाने थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति के प्रयासों से वर्ष 1979-80 में 182 प्रतिशत, वर्ष 1980-81 में 257 प्रतिशत तथा 1981–82 में 255 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति की गई। इसी प्रकार इन वर्षों में अंशपूंजी एकत्र करने के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति क्रमशः 239 प्रतिशत, 196 प्रतिशत तथा 121 प्रतिशत रही।

अब मनासा तहसील का एक भी गांव ऐसा नहीं है जो विद्युत से वंचित हो। यह मन्दसौर जिले की पहली तहसील है जिसका शत प्रतिशत विद्युतिकरण हुआ है। 66 प्रतिशत गांवों में सड़कें विद्युत प्रकाश से आलोकित हो चुकी हैं तथा चालू वित्त वर्ष में ही शेष गांवों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। विद्युत स्थानान्तरण में होने वाली ऊर्जा क्षति को भी न्यून किया गया है जिसे ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा मान्य सबसे कम ऊर्जा क्षति तक लाया गया है। म० प्र० शासन ने 6 पवन चक्कियां मनासा में लगाने का लक्ष्य रखा है जिसका कार्य तेजी पर है। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की एक टीम द्वारा जो कि सितम्बर 81 में समिति के कार्यों का मूल्यांकन करने आई थी। समिति के कार्य की सराहना की गई है।

मनासा की विद्युत सहकारी समिति प्रदेश के सहकारी आन्दोलन के लिए गौरव है।□

**सहकारी प्रशिक्षक**
**जिला सहकारी संघ मन्दसौर, मध्य प्रदेश**

## उद्‌बोधन

**मोहन चन्द्र मन्टन**
ए० बी० 904,
सरोजिनी नगर
नई दिल्ली –23.

छाया यह तम तोम हरो हे।
नव प्रकाश से व्योम भरो हे।
स्वार्थ लोलुपी काली छाया—
कुछ छल बलियों की जो माया—
आया यह भ्रम भ्रोम हरो हे।

पन्द्रह में फिर पांच मिलाओ
बीस सूत्र जीवन में लाओ
मिटे गरीबी हटे अंधेरा—
साक्षरता का पाठ पढ़ाओ
ऋद्धि-सिद्धि पाने समृद्धि फिर
यज्ञ रचो, शुचि होम करो हे।

# हिन्दी प्रेमी : डा० बारान्निकोव

**डा०** प्योतर अलिक्सेयेविच बारान्निकोव सुप्रसिद्ध रूसी हिन्दी-सेवी हैं । उनके पिता अलिक्सै पित्रोविच बारान्निकोव भी बड़े हिन्दी-प्रेमी थे । उन्होंने तुलसीकृत रामायण 'रामचरित मानस' का रूसी भाषा में पद्यानुवाद किया था । डा० प्योतर बारान्निकोव को हिन्दी प्रेम पिता से विरासत में मिला और उन्हीं की देखरेख में उन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की । आजकल आप लेनिनग्राद स्थित भाषा विज्ञान संस्थान में प्राध्यापक हैं। आप तीन बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। जुलाई 1956 से जनवरी 1959 तक आप भारत स्थित सोवियत दूतावास में सांस्कृतिक प्रतिनिधि रह चुके हैं ।

डा० बारान्निकोव ने कामताप्रसाद गुरु के हिन्दी व्याकरण का तथा दूसरी कई हिन्दी पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। लेनिनग्राद स्थित हिन्दी स्कूल के संचालन में भी आपका प्रमुख योगदान रहा है । आप नियमित रूप से विभिन्न स्थानों पर भारत सम्बन्धी व्याख्यान देते रहते हैं ।

हिन्दी लेखक डा० राजाराम मेहरोत्रा द्वारा उनकी रूस यात्रा के दौरान डा० बारान्निकोव से हुई भेंट-वार्ता के कुछ अंश निम्न प्रस्तुत हैं ।

प्रश्न : बारान्निकोव जी, सबसे पहले यह बताएं कि आपके पिता जी ने आपको किस हद तक और किस प्रकार प्रभावित किया ?

उत्तर : मेरे ऊपर पिताजी का गहरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने ही मेरे अंदर हिन्दी के प्रति रुचि पैदा की, विशेषकर हिन्दी शब्दावली में । जब पिता जी मुझे हिन्दी पढ़ाते थे, तब एक घंटे में मुश्किल से आधा पृष्ठ ही हो पाता था । वे हर शब्द को बारीकी से देखते और समझाते थे । शब्द परिवार की विशद व्याख्या करते । गहराई से अनुसंधान करने की उनकी प्रवृत्ति थी ।

इसके अलावा हमारे घर का वातावरण ही भारतमय था । अक्सर भारत संबंधी विषयों की चर्चा होती रहती थी ।

प्रश्न : हिन्दी में आपका पहला योगदान कौन सा है ?

उत्तर : पिताजी ने रामचरित मानस का रूसी भाषा में जो पद्यानुवाद किया है, उसके अंत में दी गई अनुक्रमणिका मैंने तैयार की थी ।

प्रश्न : सोवियत संघ में हिन्दी पठन-पाठन की क्या स्थिति है ?

उत्तर : हमारे देश में क्रांति के पहले केवल संस्कृत का अध्ययन होता था । बाद में लेनिन के आदेश से एशियाई देशों की आधुनिक भाषा की शिक्षा भी दी जाने लगी । हिन्दी पठन-पाठन का सिलसला 1922 में ही पिताजी के प्रयास से शुरू हो गया था ।

पिछले अनेक वर्षों से लेनिनग्राद मास्को, ताशकंद तथा दुशंबे स्थित हिन्दी स्कूलों में छोटे बच्चों को हिन्दी की शिक्षा दी जा रही है । यहां स्थाई तौर पर रूसी शिक्षकों द्वारा हिंदी की पढ़ाई की जाती है । केवल लेनिनग्राद के हिन्दी स्कूल में इस समय 400 लड़के-लड़कियां हिंदी पढ़ रहे हैं । यह विद्यालय 25 वर्ष से कार्यरत है । हिन्दी स्कूलों में हिन्दी शिक्षा का पाठ्यक्रम दस वर्षों का है । इन विद्यालयों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें हम हिन्दी भाषा के साथ भारतीय भूगोल और और इतिहास की शिक्षा भी देते हैं ।

प्रश्न : विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी शिक्षा की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर : विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था लेनिनग्राद, मास्को और ताशकंद में उपलब्ध है । लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष 20-25 छात्र हिन्दी की शिक्षा ग्रहण करते हैं ।

प्रश्न : हिन्दी संबंधी आपकी नई पुस्तकें कौनसी आ रही हैं ?

उत्तर : अभी हाल ही में एक पुस्तक तैयार की है, 'हिन्दी क्षेत्र की भाषाई स्थिति' । यह पुस्तक प्रेस में है और इस वर्ष बाजार में आ जाएगी । इस समय मैं 'आधुनिक भारत में संस्कृत की स्थिति' विषय पर पुस्तक लिख रहा हूं । 'हिन्दी शब्दावली' तथा 'भारत में रामकथा' इन दो पुस्तकों की रचना भी मेरे भावी कार्यक्रम का प्रमुख अंग है ।

प्रश्न : भारत में हिन्दी का विकास और प्रचार उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था । आपकी दृष्टि में इसका क्या कारण है ?

उत्तर : इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वयं हिन्दी क्षेत्र के बहुत से लोग हिन्दी का प्रयोग नहीं करते । हिन्दी का प्रचार और प्रयोग सबसे पहले हिन्दी क्षेत्र में पूरी तरह से होना चाहिए। जब अहिन्दी भाषी देखेंगे कि हिन्दी क्षेत्र वाले हिन्दी में ही बात करते हैं तो वे भी हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित होंगे। हमारी राजधानी मास्को में रूसी भाषा बोली जाती है । अतः जो व्यक्ति यहां बाहर से आते है, वह भी रूसी बोलता है । गैर–रूसी भाषी रूसी भाषा इसलिए नहीं सीखता कि यह उस पर लादी जाती है, बल्कि इसलिए सीखता है कि वह जानता है कि उसका काम नहीं चल सकता । मुझे बहुत क्लेश होता है, जब देखता हूं कि सोवियत रूस में हिन्दी क्षेत्र से जो भारतीय आते हैं, वे आपस में भी अंग्रेजी में बातें करते हैं । इससे हमारे देशवासियों में यह भ्रम पैदा होता है कि भारत के सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं।

इसके पहले कि डा० मेहरोत्रा श्री बारान्निकोव से "बलशोई स्पासिबा" (बहुत–बहुत धन्याद) कहते उनका 10 वर्षीय पुत्र वहां आ पहुंचा डा० महरोत्रा ने हिन्दी में उससे पूछा , "यह बताओ कि तुम्हारा नाम चंद्र है या चंद्रा" ? उसने तुरन्त जवाब दिया "चंद्र, चंद्रा नहीं । यह चंद्रा क्या होता है ?

(धर्मयुग से साभार)

---

# सहकारी सदस्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ।

केन्द्रीय कृषि मंत्री, राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि सहकारी समितियों की सदस्यता सभी किसानों, कारीगरों और ग्रामीण लोगों के लिए खुली होनी चाहिए । सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने का तात्पर्य यह होगा कि वे सभी लोग जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं है, सरकार द्वारा छोटे एवं सीमान्त किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाने वाली ऋण सहायता से वंचित रह जाएंगे क्योंकि यह निर्णय किया गया है कि सभी प्रकार का ऋण एवं सहायता सहकारी समितियों के माध्यम से ही दी जाएगी ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित सहकारी ऋण संस्थानों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री ने प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्यता एक विशेष वर्ग तक सीमित करने की प्रवृत्ति पर खेद प्रकट किया। उन्होंने अधिकतर विपणन समितियों के काम करने के तरीकों पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि ये समितियां कई मामलों में अपना मुख्य कार्य, किसानों को उनके उत्पादकों का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता दिलाना, भी नहीं कर रही हैं । उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि जो किसान नहीं हैं वही इन समितियों से अधिकतम लाभ उठा रहे हैं । सहकारी ऋण समितियों के ग्रामीण स्तर पर कार्य करने के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा कि ऋण उत्पादक कार्यों के लिए ही दिए जाने चाहिए और इनसे गरीब किसानों और कारीगरों को लाभ मिलना चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह ने सहकारी समितियों के प्राथमिक स्तर से राज्य स्तर तक के कामकाज में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि कृषि के लिए ऋण की ब्याज दर, जो ऊंची है, को कम किया जाना चाहिए । ऋण देने वाली संस्थाओं को अपने खर्चों में कमी लानी चाहिए ।

राव वीरेन्द्र सिंह ने सम्मेलन को यह बताया कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे यह कहा है कि ऋण बसूली के कायक्रम में तेजी लाएं । सरकार छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए बहुत बड़े पमाने पर एक कार्यक्रम तैयार कर रही जिससे वे कृषि उत्यादन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले सकें इसी उद्देश्य से केन्द्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और राज्य सरकारों से भी इतनी ही राशि की व्यवस्था करने की आशा की जाती है । इसी प्रकार छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता के रूप में बजट में ढाई सौ करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं । उन्होंने सभी कार्यक्रम को जोरदार एवं उत्साहपूर्वक ऋण देने वाली संस्थाओं से इस तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कहा ।

इस सम्मेलन में अल्पकालिक तथा लम्बी अवधि के ऋण ढांचे में समन्वय, कृषि तथा गैर फार्म क्षेत्र को राज्य सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता तथा राज्य सहकारी और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी देय वसूली तथा राशि जमा योजनाओं को गतिशील बनाने पर विचार किया गया । □

# कानून की बात

राजेन्द्र परदेसी

ऐसा भी कहीं हो सकता है कि जालिम सिंह को पैसा दिए बिना उनसे मुक्ति मिल जाए। असम्भव है। यही सोचकर मंगरुवा को रामप्रसाद की बातों पर विश्वास नहीं हुआ।

पर जब गोपाल गांव आया तो एक दिन मंगरुवा ने पूछा--"बेटा, गोपाल ! कोई कानून बना है क्या ?

"कैसा कानून ?"

"रामप्रसाद कह रहा था कि जालिम सिंह के यहां अब बेगार नहीं करनी पड़ेगी। बिना रुपया चुकाए ही उनसे मुक्ति मिल जाएगी।"

"बना तो है। क्या आपको मालूम नहीं ?" गोपाल ने आश्चर्य चकित होकर पूछा। फिर बोला, "तो सभी लोग जान गए हैं।"

बेटे की बात सुनकर मंगरुवा सोचने लगा कि कानून बन जाने से ही क्या जालिम सिंह मान जाएंगे। इसीलिए समाधान हेतु पूछा, "जालिम सिंह नहीं माने तो -----।"

"मानेंगे क्यों नहीं ? क्या उनके लिए कोई अलग कानून है ?" गोपाल बोला।

बेटे की बात वह समझ तो गया फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ठाकुर जालिम सिंह का विरोध मोल ले। परन्तु जब गोपाल ने बहुत समझाया कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कानून बन जाने से क्या होगा ? तो बेटे की बात से मंगरुवा की हिम्मत बढ़ गई।

जालिम सिंह का आदमी जब बुलाने गया तो वह नहीं गया। जालिम सिंह को गुस्सा आ गया। इसीलिए लाठी लेकर तुरन्त मंगरुवा के घर पर पहुंच गए। आवाज लगायी, "मंगरुवा ओ मंगरुवा"

"आया ठाकुर।" जालिम सिंह की आवाज पहचान गया था। इसीलिए अन्दर से ही आवाज दी।

जैसे वह बाहर निकला, जालिम सिंह गरजते हुए बोले, "क्यों मंगरुवा ? सुना है तूने रतनवा से कहा है कि हमारा काम नहीं करेगा।"

"नहीं ठाकुर। हमने तो यह कहा है कि अब बेगार नहीं करुंगा।"

"कैसी बेगार"

"बेगार नहीं तो और क्या है। हमारे बापू ने पांच सौ रुपया बहिनी के ब्याह में लिए थे। आज इतने बरस बीत गए, आप का कर्जा ज्यों का त्यों बना है।"

'रुपया वापस करेगा तभी तो चुकता होगा।" फिर कुछ सोचकर ठाकुर बोले, "लगता है,रुपया देने का विचार नहीं है।"

"पचीस बरस से आपके यहां खट रहा हूं, उसका कुछ नहीं होगा ?

"सूद कहां जाएगा ?"

"पचीस बरस से आपका सूद ही तो भर पाया हूं मूल तो पड़ा ही है न ?' व्यंग्य के लहजे में मंगरुवा बोला क्योंकि उसे कानून का कवच जो मिल गया था।

"और नहीं तो क्या ?" जालिम सिंह अभिमान से बोले।

मंगरुवा को अपने दिल की बात कहनी थी। आखिर कह ही दिया, "चाहे जो समझो आप। लेकिन बिना मजदूरी के अब काम पर नहीं आ पाऊंगा।"

जालिम सिंह समझ तो गए थे कि मंगरुवा ऐसी बातें क्यों कह रहा है, फिर भी अपनी धौंस से उसे वश में लाना चाहते थे। इसीलिए बोले, "लगता है तेरा दिमाग किसी ने खराब कर दिया है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है।" फिर रुक कर कहा, "देख मंगरुवा। तूझे काम नहीं करना है तो मतकर, लेकिन कल तक सब पैसा वापस कर जा नहीं तो -----।"

वह अपनी बात पूरी कर भी न पाए थे कि मंगरुवा का बेटा गोपाल आकर बीच में बोल पड़ा, "नहीं तो क्या होगा ठाकुर ?" फिर अपने पिता की ओर मुखातिब होकर बोला, "बापू। ठाकुर को शायद मालूम नहीं है कि बंधुआ मजदूर मुक्ति कानून बन गया है।" गोपाल को बीच में आया देखकर जालिम सिंह समझ गए थे कि युद्ध का कमान अब पुरानी पीढ़ी से हटकर नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है। और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की स्थापित मान्यताओं को ज्यों-का-त्यों स्वीकारने को कभी तैयार नहीं होगा। बाजी भी हार चुके थे। इसलिए टकराव से अच्छा यही होगा कि समय के साथ समझौता कर सम्मान-स्थिति कायम रखें यही सोचकर ठाकुर बिना कुछ जवाब दिए वापस लौट पड़े।□

राजेन्द्र परदेसी
निकट त्रिपाठी चित्र मंदिर
गांधीनगर, बस्ती (उ० प्र०)

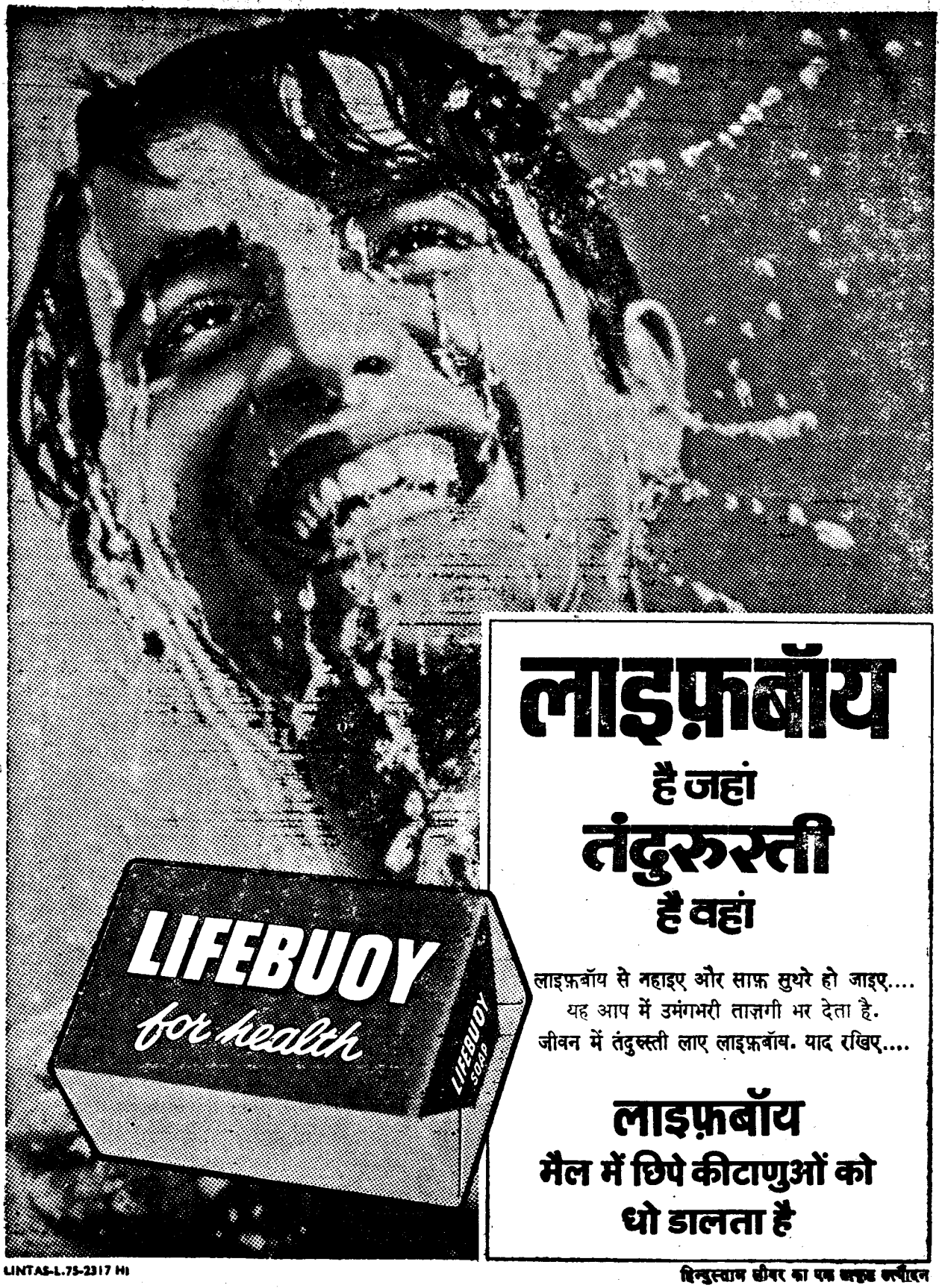

LIFEBUOY
for health
LIFEBUOY SOAP
लाइफ़बॉय
है जहां
तंदुरुस्ती
है वहां
लाइफ़बॉय से नहाइए और साफ़ सुथरे हो जाइए....
यह आप में उमंगभरी ताज़गी भर देता है.
जीवन में तंदुरुस्ती लाए लाइफ़बॉय. याद रखिए....
लाइफ़बॉय
मैल में छिपे कीटाणुओं को
धो डालता है
LINTAS-L.75-2317 HI
हिन्दुस्तान लीवर का

# पहला सुख निरोगी काया

## मधुमेह की अचूक दवा—जामुन

महेन्द्र पाल सिंह

भारत में जामुन की अनेक जातियां पाई जाती हैं । इनमें बड़ी जामुन जिसे संस्कृत में राज जम्बू कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। इसका फल बरसात के शुरू में पकने लगता है और मधुर होता है। जहां यह बड़ा मजेदार है वहां यह अनेक रोगों की दवा भी है।

इसके बीजों में जाम्बोलिन नामक गुलूका साइट पाया जाता है जो स्टार्च की शर्करा में परिणत होने से रोकता है। इसके अलावा इसमें वसा, राल, गैलिक एसिड, अल्यूमिन, एलाजिक एसिड आदि पाए जाते है । इसके वृक्ष की छाल में जहां 12 प्रतिशत टनिन पाया जाता है वहां इसमें गोंद भी होता है। रोगोपचार में फल, गुठली, पत्र, छाल आदि सभी अंग काम में लाए जाते हैं।

गुण धर्म की दृष्टि से जामुन का फल लघु, अपकर्षीप, मधुर, अम्ल, मधुर विपाक, शीत वीर्य, कफ पित्त–शामक, दीपन, पाचन, मल–रोधक, श्रमहर तृषा शामक, अतिसार, स्वास काश तथा उदर कृमियों को नष्ट करने वाला है। जामुन के फलों का सेवन भोजन के बाद ही अधिक लाभकारी होता है और यदि इन्हें नमक काली मिर्च, सोंठ, अजवायन आदि के योग से खाया जाए तो ये अधिक रोगनाशक तथा स्वास्थयप्रद है। बासी, सड़ा गला फल हानिकारक होता है। कच्चे , अधपके फल खाने से आतों में जख्म हो जाते हैं और फेफड़ों को विकार ग्रस्त करते हैं। जामुन के फल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए । जामुन के फल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं। जो यकृत में शर्करा की पाचन क्रिया में सुधार करते हैं। ज्ञात हो कि इस क्रिया के बिगड़ने से मधुमेह का रोग पैदा हो जाता है और इसके सुधार से रक्तगत तथा मूत्रगत शर्करा कम हो जाती है और मधुमेह का रोग दूर हो जाता है इसमें जो सौम्य, लोहा पाया जाता है वह रक्त की अशुद्धता से होने वाली लीहा तथा यकृत वृद्धि को दूर करता है तथा पेट के दूसरे रोगों में भी बड़ा हितकारी है ।

वैसे तो जामुन के वृक्ष का प्रत्येक अंग मधुमेह के रोग में लाभदायक है। पर इसके फल मधुमेह के रोगी के लिए विशेष उपयोगी हैं। अच्छे पके फलों को ढाई से पांच तोला तक लेकर पच्चीस तोला उबलते हुए पानी में डालकर ढक दें । आध घंटे बाद मसल कर छान लें। इसकी तीन मात्रा करके दिन में तीन बार पिलाने से मधुमेह के रोगी के मूत्र में शर्करा अत्यन्त कम हो जाती है और यदि पथ्यपूर्वक कुछ काल तक इसका सेवन किया जाए तो रोगी बिलकुल स्वस्थ हो जाता है।

जामुन के फल पेचिस रोग को दूर करने में भी बड़े कमाल का काम करते हैं । खूनी पेचिस में जामुन के फलों का रस दो तोला और गुलाब जल दो तोला मिलकार इसमें थोड़ी खांड का योग देने से रोगी तत्काल लाभ प्राप्त करता है। पित्त प्रकोप में इसके एक तोला रस में एक तोला गुड़ मिलाकर आग पर रखने से जो भाप उठे उसे मुख में लेने से पित्त शीघ्र शान्त हो जाता है ।

जहां तक जामुन की गुठली का सम्बन्ध है यह मधुर और शीतल होती है और पुराने दस्तों, प्रभाहिका, रक्त प्रदर, खूनी दस्त, इच्छुमेह, मधुमेह, उदक मेह आदि रोगों में लाभकारी होती है । औषधियों के रूप में जामुन के फलों की गुठलियां भी काम आती है। जामुन की गुठली की मींग एक तोला, सौंठ एक तोला, गुड़मार बटी दो तोला––इन सबको कूट पीसकर कपड़ छन करें और फिर ग्वारपाठा के रस में खूब घोटें, तत्पश्चात आधा-आधा तोले की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। दिन में तीन बार एक एक गोली शहद के साथ लेने से मूत्र में शर्करा कम आने लगती है और दो मास तक सेवन करने से रोग पूर्णतया शान्त हो जाता है। इस औषधि के सेवन के दौरान पथ्यपूर्वक रहना जरूरी है। मलमूत्र के वेग का रोकना तथा दिन में सोना मधुमेह के रोगी के लिए हानिकारक है।

जामुन की गुठली की मींग रक्त प्रदर की भी रामबाण दवा है। इसकी गुठली का चूर्ण एक तोला, आम की गुठली की मींग का चूर्ण एक तोला और भुनी हुई छोटी हरड़ का चूर्ण एक तोला, इनको खूब कूट पीस कर रख लें और तीन मासा तक जल के साथ सेवन करें। कुछ काल तक इसके सेवन से रोग पूर्णतया शान्त हो जाता है। रक्त प्रदर की रोगिणी को इसका चूर्ण चावलों के पानी या माण्ड के साथ देना चाहिए । यदि इसकी मींग के चूर्ण में कमलगट्ठे की गिरि का चूर्ण और मिला दिया जाए तो प्रतिदिन सांय प्रातः तीन-मास गाय के दूध के साथ सेवन करने से सब प्रकार के प्रदर रोग दूर हो जाते हैं । आंखों का मोतिया बिन्द रोग बड़ा घातक रोग है। पर जामुन की गुठली के चूर्ण में मोतिया बिन्द रोग को दूर करने के भी गुण विद्यमान है। इसकी मींग के चूर्ण को शहद में मिलकार खूब छोटे और तीन-तीन मासे की गोलियां बनाएं, सांय प्रातः गो-दुग्ध के साथ एक-एक गोली सेवन करने से नवीन मोतियाबिन्द में अवश्य लाभ होता है । यदि इस गोली को शहद में घिसकर आंखों में आंजा जाए तो मोतिया बिन्द रोग में लाभ पहुंचता है। इसकी गुठली को पानी में घिस कर मुख के मुंहासों पर लगाने से मुंहासे ठीक हो जाते हैं। यदि इसके चूर्ण को तेल में पका कर कान में डाला जाए तो कान का बहना बन्द हो जाता है।

जहां तक जामुन के वृक्ष की छाल का सम्बन्ध है वह भी अनेक रोगों की दवा है। यह कसैली, मधुर, पाचक, रुचिकारक और पित्त शामक है। इसके काढ़े से प्रभाहिका और पुराने दस्त बन्द हो जाते हैं, प्रदर रोग शान्त हो जाता है। जामुन की छाल की भस्म मधु के साथ देने से खट्टे वमन दूर हो जाते हैं। यदि मन में रक्त

आता हो तो जामुन का शर्बत देना चाहिए। जामुन के वृक्ष के अन्दर की छाल को सुखा कर जलाने से वह भूरे रंग की हो जाती है। खरल में खूब घुटाई कर इसकी दस रत्ती मात्रा प्रातः दोपहर और शाम को एक-एक औंस पानी के साथ देने से डेढ़ महीने में मधुमेह अवश्य ठीक हो जाता है। जामुन की दातुन, दांतों के लिए लाभकारी है। इसकी छाल के काढ़े से मुख में कुल्ला करने से मुख के विकार दूर होते हैं।

जामुन के पत्ते कसैले कफ पित्त और दाह का शमन करते हैं। इसके कोमल पत्तों का स्वरस नमन तथा रक्तपित्त में लाभकारी है। पत्तों के कलक का प्रलेप फोड़ा फुंसियों को ठीक करता है। पत्तों की भस्म का मंजन मसूड़ों को मजबूत बनाता है और इसमें सेंधा नमक के योग से ऐसा गुण पैदा हो जाता है जिससे दांतों और मसूड़ों के सब रोग दूर हो जाते हैं। जामुन की कोमल ताजे पत्तों को पानी में पीस कर कुल्ला कराने से मुख के छाले दूर हो जाते हैं। इसके पत्तों के रस से बिच्छू काटे का जहर उतर जाता है। गाय के दूध में पत्तों को पीसकर सेवन करने से पीलिया और और अमाशय के विकार दूर हो जाते हैं। जामुन का सिरका तिल्ली और यकृत के रोगों के लिए बड़ा हितकारी है।□

# टमाटर और स्वास्थ्य

डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े

सेब व संतरे की तरह टमाटर भी एक प्रकार का उत्तम और परमगुणकारी फल है, जिसका आम उपयोग तरकारी बनाने में होता है। पके टमाटर फलों की भांति खाए जाते हैं। मीठा और सुस्वादु होने के कारण अमीर-गरीब सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। आज संसार भर में टमाटर भोजन का मुख्य अंग बन चुका है।

कच्चे टमाटर भी खाये जाते हैं और उनको लगभग सभी सब्जियों के साथ पका कर उपयोग में लाया जाता है। इसका बढ़िया सलाद प्याज, गाजर, मूली, चुकन्दर, संतरा, अमरूद आदि के साथ कच्चा काट कर बनाया जा सकता है। वैसे तो ये हर ऋतु में मिलते हैं परन्तु सर्दी के फल जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि इनका छिलका और गूदा मोटा होता है। इनसे रस भी अधिक मिलता है।

टमाटर में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ताम्बा पोटास, मेंगनीज, लोहा, लवण, चूना के अलावा इसमें विटामिस 'ए' 'बी' 'सी' और 'ई' भी पाए जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा में मेलिक एसिड, आक्जेलिक एसिड और साइट्रिक मिलता है। इनके अतिरिक्त जल 94.5 प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट 3.9 प्रतिशत, प्रोटीन 1.0 प्रतिशत, फेट 0.3 प्रतिशत, शर्करा 3.37 प्रतिशत इससे प्राप्त होता है।

आयुर्वेद मतानुसार टमाटर अम्ल, मधुर, शीतवीर्य, दीपन, पाचक, रक्तशोधक, रुचिकर, अतिसार, बेरी-बेरी, गठिया, सूखा रोग, हृदय दोर्बल्यता, मधुमेह आदि में उपयोगी है।

ताजे और खूब पके टमाटर यों ही खाए जाने चाहिए। पौष्टिक गुण नष्ट न हों, इसके लिए इसे अग्नि पर अधिक पकाना नहीं चाहिए। पके हुए टमाटरों से चटनी, अचार-मुरब्बा, जूस, सूप, टमाटो काकटेल आदि अनेक प्रकार के चटपटे मजेदार खाद्य-पदार्थ बनाए जा सकते हैं।

यह खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्ति में बहुत मदद करता है। आपके सुस्त जिगर को उत्तेजित कर भूख बढ़ाता है। स्मरण शक्ति बढ़ा कर, हाथ-पैरों की जलन दूर करता है। इसके नियमित सेवन से बदबूदार सांस का आना, मसूड़ों की तकलीफें, आंखों में दर्द होना, तिल्ली का बढ़ना, त्वचा का रुखापन दूर होता है। विटामिन 'सी' की प्रचुरता के कारण यह शरीर में स्थित विजातीय तत्वों को सुगमता से निकाल देता है। खट्टा होने के कारण शरीर से शर्करा की मात्रा भी कम कर देता है।

विभिन्न रोगों में किस प्रकार टमाटर से लाभ उठाया जा सकता है, उसका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है--

रक्त विकार--दो तीन तोला टमाटर का रस थोड़ा गुन-गुना गरम कर सुबह-शाम सेवन करने से खुजली, लाल चकत्ते और फोड़ाफुंसी में लाभ पहुंचता है।

कब्ज--भोजन के पहले सेंधा नमक और अद्रक टमाटर के साथ आवश्यकतानुसार मिला कर खाने से पेट साफ हो जाता है।

पांडु रोग--सुबह-शाम दस तोला टमाटर का रस और तीन ग्राम काला नमक मिलकार नियमित सेवन करने से लाभ मिलता है।

ज्वर में--ज्वर में उत्पन्न गर्मी, बैचेनी और तृष्णा को शांत करने के लिए थोड़ा-थोड़ा टमाटर का रस देना चाहिए।

अजीर्णपर--टमाटर को भून कर, सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर सेवन करने से तकलीफ में आराम आता है।

सूखा रोग व लिवर की खराबी--इन तकलीफों में बच्चों को टमाटर का रस नियमित रूप से आवश्यकतानुसार देना चाहिए।

मधुमेह--इस रोग में कच्चे टमाटर खाना विशेष लाभप्रद होते हैं।

मुख रोग--अनेक प्रकार के मुख रोगों में इसके रस में थोड़ा पानी मिलाकर कुल्ला करने से आराम मिलता है। □

**डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े**
**क्वा० 902, एन-2, हबीबगंज**
**भोपाल-462024,**

# महाजनों से मुक्ति

**सत्यनारायण शर्मा**

उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच शताब्दियों से 'त्रिशंकू' बना धकवला नामक एक छोटा सा गांव यमुना नदी के थपेड़े खाते-खाते कभी एक राज्य का तो कभी दूसरे राज्य का हिस्सा बना रहा । इस विषम परिस्थिति के कारण यहां के निवासी हर वर्ष की बाढ़ में अपना सभी कुछ नौछावर करके जैसे-तैसे अस्तित्व को बरकरार रखने में सफल हुए हैं ।

करनाल नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धकवला एक छोटा सा गांव है जिसका भाग्य यमुना नदी की धारा निश्चित करती रही । कारण दोनों राज्यों की सीमा नदी का प्रवाह पर ही आधारित है । इसी कारण यह गांव कभी उत्तर प्रदेश के के हिस्से में आया तो कभी हरियाणा के शासन ने इसे अपने पास रखा । यहां के निवासी कुल मिलाकर यमुना मैया की दया पर जीवित हैं ।

इस गांव का इतिहास यह रहा है कि सैकड़ों वर्षों से कुछ न कुछ यह जल-प्रकोप के हवाले करता रहा, जिससे लोगों की वित्तीय हालत बुरी तरह से चरमरा गई । सहारे के नाम पर ले देकर खून चूसने वाले महाजन भी भारी ब्याज की दर पर इन्हें कर्ज देते आ रहे थे लेकिन सुखद आश्चर्य ! पिछले कुछ वर्षों से इस गांव की काया पलट होने लगी है । लोगों को महाजनों से मुक्ति मिल रही है और रोजगार के के लिए पैसा भी इन दोनों मामलों में राष्ट्रीय-कृत यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का विशेष योगदान रहा, जिसके अधिकारियों ने 'धकवला' गांव के एक-एक घर जाकर बैंक सहयोग लेने का आग्रह किया ।

इस गांव का सर्वेक्षण अभी हाल ही में किया गया है । गांव वालों ने बताया कि शुरू में उनकी बैंक से कर्ज लेने की हिम्मत नहीं होती थी । वे लोग इस बात से डरते थे कि यदि बाढ़ के दिनों में उनका सब कुछ नष्ट हो गया तब वे बैंक का पैसा कहां से लाएंगे तथा लौटाएंगे ? धीरे-धीरे बैंक अधिकारियों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और फलस्वरूप 1978-79 के दौरान 25 किसानों को 34 हजार रुपये के कर्ज दिए गए । सारी कार्यवाही बैंक कर्मचारियों ने गांव में जा कर ही पूर्ण की । यहां तक कि बीज-खाद्य वगैरहा भी गांव में वितरित किया गया । फलस्वरूप खेती अच्छी हुई और कर्ज की वसूली शत प्रतिशत रही ।

गांव के लोगों ने 30 लाख के कर्ज लिए जिन्हें वे ठीक समय पर वापस कर रहे हैं । इस सहयोग के कारण शताब्दियों से उपेक्षित इस गांव में 31 ट्रेक्टर 70 थ्रेशर तथा 100 से अधिक नल कूप उपलब्ध हैं । यहां गन्ना, धान तथा गेहूं की अच्छी पैदावार होने लगी है । आधे से अधिक परिवार कृषि में लगे हैं बाकी अन्य व्यवसायों में रत हैं । बैंक के पास हरपरिवार के लिए एक-एक परियोजना है । अभी गांव के 152 लोगों ने अपने खाते खोलकर बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया है, जिनमें पशु-पालन के व कुछ कुटीर उद्योगों के लिए भी कर्जे लिए गए हैं । कमजोर वर्गों के लोगों को केवल चार प्रतिशत की दर पर कर्जे दिए गए हैं । गांव के लोग अब अपना पैसा भी बैंक में जमा करने लगे हैं । इस समय पौने तीन लाख की जमा राशि बैंक के पास है ।

सौभाग्य की बात है कि अब नदी का काट भी गांव से काफी दूर हो गया है जिससे बाढ़ का प्रकोप भी बहुत कम रह गया है । हरियाणा सरकार ने गांव की रक्षा के लिए एक बांध का निर्माण भी किया है ।

इस प्रकार धकवला एक छोटा सा गांव जो नदी की बाढ़ से तहस-नहस हो जाता था, अब इस बैंक ने इस गांव का रूप ही कुछ और कर दिया है । सरकार के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को यह बैंक सफल बना रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने ही है ।

**सत्यनारायण शर्मा**
**महाराना प्रताप छात्रावास कमरा नं० 58**
**राजस्थान विश्व विद्यालय**
**जयपुर (राज)**

# 'मत्स्य सुगंधि' की विशालतम शार्क

'मत्स्य सुगंधि' नामक पोत ने हाल ही में सबसे बड़ी शार्क मछली पकड़ी और केरल के तट पर अझीकोड में एक नए शार्क मैदान का पता लगाया है ।

यह शार्क 302 सें० मी० लम्बी है, जिसका वजन 235 किलोग्राम है । तीन सप्ताह की समुद्री गश्त के दौरान करीब 100 मछलियां पकड़ी जाती हैं। परन्तु "मत्स्य सुगंधि" द्वारा नवीनतम समुद्र गश्त के दौरान 15 मी० टन वजन की 432 बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं।

"मत्स्य सुगंधि" भारत सरकार का बड़ी-बड़ी मछलियों को पकड़ने वाला एक पोत है। यह 800 और 2500 मीटर की गहराई के बीच 10,000 कांटे काम में लाता है । समुद्री गश्त के दौरान कांटा डालने का वास्तविक समय केवल 259 घंटे था ।

शार्कफिन शोखा पश्चिमी देशों का एक स्वादिष्ट आहार है । शार्क मांस की भी अन्तर्राष्ट्रीय और निर्यात बाजार में भारी मांग है । शार्क लीवर तेल एक बहुमूल्य सह-उत्पाद है ।

अतः जब नए मैदान का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाएगा तो काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकेगी ।□

# केन्द्र के समाचार

## मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण तथा प्रतिरक्षण पर जोर

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा रोग प्रतिरक्षण का विस्तृत कार्यक्रम पूरे देश में लोकप्रिय होता जा रहा है। गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण से उत्पन्न रक्त की कमी को दूर करने के लिए 1982-83 के दौरान 1.20 लाख महिलाओं के निर्धारित लक्ष्य से भी 14.87 लाख अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुईं। यह संख्या पिछले वर्ष लाभान्वित हुई 111.86 लाख महिलाओं की संख्या से अधिक थी। इन महिलाओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन लौह तथा फोलिक एसिड की गोलियां आवश्यक मात्रा में दी जाती हैं।

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी और चण्डीगढ़ ने वर्ष 1982-83 में अपने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य किया।

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को लौह और फोलिक एसिड का तरल सम्पाक दिया जाता है। वर्ष 1982-83 में 128.79 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जबकि इससे पिछले वर्ष में 114.04 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम का लाभ मिला। हिमचाल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय राज्यों तथा दिल्ली, पांडिचेरी और चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम के वर्ष 1982-83 के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य किया।

वर्ष 2000 तक शत प्रतिशत आबादी को रोग प्रतिरक्षण योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए प्रत्येक राज्य के लक्ष्यों को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाता है। हाल ही में हुई स्वास्थ्य सचिवों की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य को एक जिले में बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की शत प्रतिशत जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाना चाहिए।

## आन्ध्र प्रदेश में झोंपड़ियों का बीमा

ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने जो कि भारतीय सामान्य बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी है, हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों की झोंपड़ियों का बीमा करने की नई योजना शुरू की है।

इस योजना में राज्य के विभिन्न जिलों की नगर पालिकाओं के अन्तर्गत आने वाली 1,50,000 झोंपड़ियों का 2000 रुपये प्रति झोंपड़ी के हिसाब से बीमा करने की व्यवस्था है। यह बीमा दंगे, हड़ताल, विद्वेष से की गई क्षति तथा हवाई जहाज से हुई क्षति आदि जोखिमों के लिए होगा।

प्रति झोंपड़ी प्रति वर्ष 4.20 रुपये प्रीमियम होगा जिसे राज्य सरकार तथा झोंपड़ी का स्वामी दोनों आधा-आधा देंगे। इस योजना के परिणामों के आधार पर द ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार करेगी।

## गतिया-बांकरा में किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम ने 11 जून, 1983 को गतिया (पश्चिम बंगाल) में किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह राष्ट्रीय कृषि आदान पखवाड़ा कार्यक्रम का एक भाग था। छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों सहित बड़ी संख्या में किसानों ने इस शिविर में भाग लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को रसायन उर्वरक के लाभ एवं उसका इस्तेमाल करने के तरीकों तथा फसल उत्पादन में उर्वरक के प्रभावों की जानकारी देना था। इसके अलावा शिविर में मिट्टी की जांच एवं कीटनाशों के महत्व पर भी बल दिया गया।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम ने उर्वरक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जोरदार प्रचार करने के लिए चार जिलों—बांकुरा, पुरुलिया, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी के लगभग 300 गांवों को अपनाया है।

## ग्रामीण आवास एवं आयोजन प्रशिक्षण

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन की ग्रामीण आवास शाखा ने ग्रामीण आवासीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेष पाठ्यक्रम चलाएं हैं।

ये पाठ्यक्रम निर्माण कार्य में लगे ओवरसीयर जैसे तकनीकी कार्मिकों, ग्रामीण विकास के कार्य में लगे खण्ड विकास अधिकारियों तथा पंचायती राज अधिकारियों एवं स्वयं अपना घर बनाने वाले ग्रामीण शिल्पकारों और आम व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण आवास तथा आयोजन के लिए व्यापक तथा समन्वित दृष्टि कोण का विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक पहलू, स्वदेशी सामग्री तथा कौशल का उपयोग करना, घरों के निर्माण के लिए कम खर्च वाले डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए जलवायु संबंधी अनुरूपता, पर्यावरण सुधार की व्यवस्था तथा आत्म सहयोग को गतिशील बनाना आदि शामिल है।

प्रशिक्षार्थियों को चुने हुए गांवों में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक, आर्थिक तथा इंजीनियरी सर्वेक्षण करने होंग। इस प्रशिक्षण के आधार पर लाभान्वितों के आत्म सहयोग से पर्यावरणात्मक सुधारों सहित कम लागत के 20 मकानों के निर्माण की

प्रदर्शन परियोजना शुरू जाएगी । यह प्रदर्शन परियोजना उन भूमिहीन ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है जिनको सरकारों ने आवासीय भू-खण्ड आवंटित किए हैं।

अनेक राज्य सरकारें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ उठा रही हैं। एशिया तथा अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों ने भी इस पाठ्यक्रम में अपनी रुचि दर्शायी है तथा उन्होंने ग्रामीण आवास के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए भारत में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं।

## पहाड़ी क्षेत्रों में बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम

पहाड़ी क्षेत्रों में बुनकरों के ऊंचे-नीचे क्षेत्रों में दूर-दूर तक फैलाव को ध्यान में रखते हुए ऐसी बुनकर सहकारी समितियों को स्वीकार करने का सरकार ने निर्णय किया है जिसमें 20 करघे ही होंगे । वैसे अन्य मामलों में सहकारी समिति बनाने के लिए इन करघों की संख्या 100 होनी चाहिए । इस निर्णय से पहाड़ी क्षेत्र में बुनकर ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती ब्याज की दरों पर ऋण प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अलावा, वाराणसी तथा गोहाटी स्थित हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थाओं को इन क्षेत्रों के बुनकरों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने तथा इन क्षेत्रों में आने वाले प्रवेशार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है ताकि हथकरघा उद्योग की मदद की जा सके। बुनकर सेवा केन्द्रों तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में इन क्षेत्रों के प्रवेशार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अल्मोड़ा में एक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । यह केन्द्र बुनकरों को नये डिजाइन तथा बुनाई कला में प्रशिक्षण देगा।

सरकार एक निर्धारित समय के भीतर ही इन क्षेत्रों में बुनकरों को उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने पर विचार कर रही है तथा उनकी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इन क्षेत्रों के हथकरघा उत्पादों की देश विदेश में बिक्री में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों विशेषरूप से हथकरघा उद्योग में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना है।

## विभिन्न संस्थानों द्वारा 4,700 गांव अपनाए गए

कई संस्थानों और एजेंसियों ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर "गांवों का अपनाना" कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 4700 से अधिक गांवों को अपनाया है। यह अभियान फरवरी 1982 में उत्पादकता वर्ष और नए बीस सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण समुदाय की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करना था।

सभी अपनाए गांवों से उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन उपलब्धियों में खाद्यान्नों, तिलहनों, दालों और शुष्क भूमि पर खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के कई कार्यक्रम शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए जिन उपायों की आवश्यकता है उनमें ऋण सुविधाएं और अन्य आदानों (साज-सामान) की व्यवस्था, सुधरी किस्म के औज़ारों का प्रयोग, बायो-गैस का विकास, मिनिकिट प्रदर्शन के द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, भू-परीक्षण और कुओं की खुदाई के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

"गांवों का अपनाना" कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कृषि विश्वविद्यालयों ने उत्पादकता बढ़ाने के सम्बन्ध में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने भी क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने, दालों और तिलहनों के उत्पादन में उच्च कोटि के बीजों और सुधरी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने के बारे में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन भारतीय किसान उर्वरक निगम (इफको) ने, उनके द्वारा अपनाये गये, पांच सौ से अधिक गांवों में काफी मात्रा में बीज एवं उर्वरक ड्रिल, बिजली चालित छिड़काव करने की मशीनें, हस्तचालित छिड़काव की मशीनें, डस्टर, इत्यादि वितरण किए हैं तथा इन गांवों में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना की है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारिता चीनी फैक्टरी लि० संघ के अनेक सदस्य इकाइयों ने पेड़ लगाने, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों की सप्लाई करने, सुधरी हुई किस्म के कृषि उपकरणों, गन्ने, दालों तथा तिलहनों के लिए अच्छे बीजों की सप्लाई का कार्य अपने हाथ में लिया है तथा इन फसलों के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने की भी व्यवस्था की है। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इन अनेक इकाइयों ने ट्यूब-वेल्स तथा पम्प सेटों की भी व्यवस्था की है।

## बिहार के 3049 और गांवों का विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले वर्ष स्वीकृत 118 नई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर बिहार के 3049 और गांवों के निवासियों के घरों में शीघ्र ही बिजली उपलब्ध हो जाएगी। 23.40 करोड़ रुपये लागत की इन परियोजनाओं से 8443 सिंचाई पम्प सैटों को चलाने के लिए भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अब तक 556 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। तथा राज्य में इन परियोजनाओं के लिए 179.1 करोड़ रुपये के ऋण की सहायता का प्रावधान रखा है। इसके अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम ने आदिवासी क्षेत्रों तथा 46 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए 17 योजनाओं को स्वीकृति दी है। निगम ने नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 39 विशेष विद्युतीकरण परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है। □

# ऋण वितरण समारोह—एक नई मिसाल

मध्य प्रदेश में सतना जिले के पोड़ी ग्राम में पिछले दिनों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रभावशाली ऋण वितरण समारोह हुआ। यह समारोह अनेक बातों के कारण अपना अलग आकर्षण और प्रभाव लिए हुए था, जो दूसरे साख शिविरों से पृथक अपनी पहचान बना पाया। ऋणों की स्वीकृति में विविधता तो थी ही, इसके अलावा हितग्राहियों को नगद राशि देने के स्थान पर उनकी वांछित वस्तु या जानवर ही बैंकों द्वारा खरीदकर उनको शिविर स्थल पर सौंप दिए गए। इसके पूर्व में लाभांवित हो चुके व्यक्तियों ने भी समारोह में उपस्थित होकर अपने अनुभव बताए।

वितरित की जाने वाली सभी वस्तुएं, जानवर एवं मशीनें आदि समारोह स्थल पर मौजूद थीं, जिन्हें तत्काल ही हितग्राहियों को उनके व्यावसायिक उपयोग हेतु सौंप दिया गया। ऋण वितरण की इस प्रक्रिया से हितग्राहियों को दो तरह से लाभ हुआ। एक खरीदने की भाग दौड़ और मेहनत से बचे अन्यथा, उन्हें किसी शहर जाकर यह सामान खरीदना पड़ता। दूसरे यह कि नगद ऋण मिलने पर उसका किसी अन्य कार्य में उपयोग हो जाने और बाद में अदायगी में पड़ने वाली कठिनाइयों से भी उन्हें मुक्ति मिली।

समारोह में 71 व्यक्तियों को तीन लाख तीन हजार रुपये मूल्य की भौतिक इकाइयां वितरित की गई। इस पर उन्हें एक लाख एक हजार रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। लाभान्वित व्यक्तियों में अनुसूचित जाति के 10, अनुसूचित जनजाति के 18 और अन्य वर्गों के 43 व्यक्ति हैं।

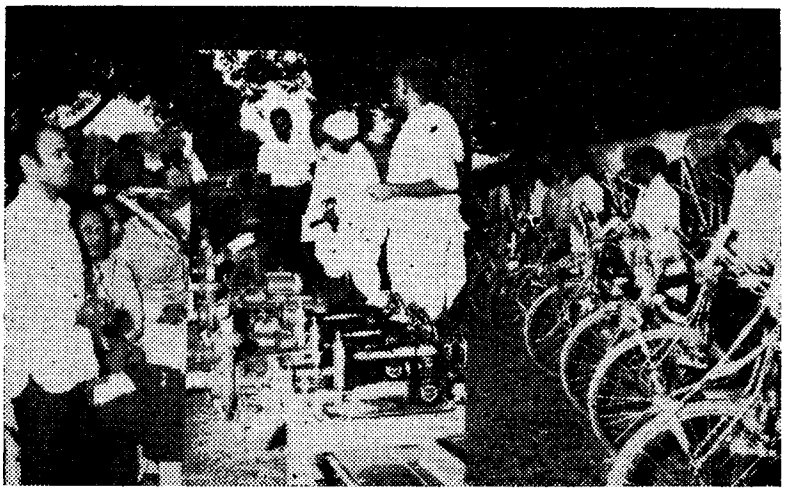

वितरित की गई भौतिक इकाइयों में 16 रिक्शों, 9 बैल एवं बैलगाड़ी, 2 भैंसें, 3 बकरी इकाई (प्रत्येक में 10 बकरी और एक बकरे) 2 बैल जोड़ी, 3 सिलाई मशीन, 8 विद्युत पम्प, 2 डीजल पम्प, 1 गन्ना पेरने की मशीन के अतिरिक्त 3 किराना दुकान, 8 साइकिल मरम्मत की दुकान, 3 पान दुकान, 4 चर्मोद्योग, 3 बिजली सुधारने की दुकान, 2 रेडीमेड कपड़े की दुकान, 2 फर्नीचर मार्ट, 1 बर्तन दुकान और 1 सुनार की दुकान के लिए सामान प्रदान किया गया।

ऋण प्राप्त करने वालों में 5 व्यक्ति ट्राइसेम ट्रेनिंग प्राप्त थे।

समारोह स्थल पर दो पूर्व लाभान्वित व्यक्तियों ने अपने अनुभव सुनाए। इनमें से उदयपुर ग्राम के रामसंजीवन नामदेव एवं पोड़ी ग्राम के सुदामा प्रसाद को क्रमशः सिलाई की इन्टरलाक मशीन और मुर्रा भैंस के लिए ऋण दिया गया था। इन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है और साथ ही वे मासिक किश्तों के रूप में अपना ऋण भी नियमित रूप से अदा कर रहे हैं।

विकास खण्ड मैहर में आयोजित यह चौथा इकाई ऋण वितरण समारोह था। इस विकास खण्ड को सतना जिले में वर्ष 1982-83 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। □

**हर्षवर्धन पाठक**
**जनसम्पर्क अधिकारी**
**जिला प्रकाशन कार्यालय**
**सतना (म० प्र०)**

Licenced under U (DN)-5
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office,Delhi

सहकारी विपणन तंत्र के तहत देश की सभी महत्वपूर्ण मंडियां आती हैं। सहकारी समितियों ने कपास और पटसन के विपणन में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

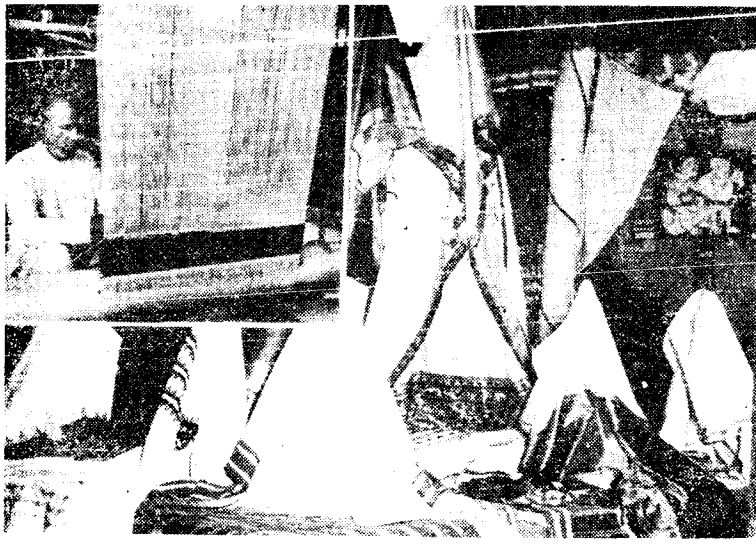

हथकरघा उद्योग में सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण बुनाई क्षेत्रों में नई बुनकर सहकारी समितियों का जाल बिछाने का कार्यक्रम चालू किया गया है।

मात्स्यकी के बेहतर उत्पादन परिसंस्करण, विपणन, भण्डारण निर्यात और आयात में मात्स्यकी सहकारी समितियों का विशेष योगदान है।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।